अप्रैल 2017

# मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

संरक्षक
**गोपाल भार्गव**
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

प्रबंध सम्पादक
**डॉ. मसूद अख्तर**

समन्वय
**मंगला प्रसाद मिश्रा**

परामर्श
**शिवानी वर्मा**
**डॉ. विनोद यादव**

सम्पादक
**रंजना चितले**

सहयोग
**अनिल गुप्ता**

वेबसाइट
**आत्माराम शर्मा**

आकल्पन
**आलोक गुप्ता**
**विनय शंकर राय**

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
**मध्यप्रदेश पंचायिका**
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

*इंदौर जिला खुले में शौच से मुक्त*

## इस अंक में...

**विशेष** : प्रदेश के सभी ग्रामों को पूर्ण स्वच्छ बनाना है 5
**खास खबरें** : ग्रामोदय से भारत उदय - गाँवों के विकास का समागम 6
**विशेष लेख** : स्वस्थ और सशक्त भारत की बुनियाद है स्वच्छता 8
**सफल गाथा** : फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने निकाली सोख्ता गड्ढे से खाद 11
**प्रयास** : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मध्यप्रदेश 12
**सम्मान** : शौचालय निर्माण के विजेता मिस्त्रियों को मिला दिल्ली भ्रमण का पुरस्कार 17
**अच्छी पहल** : शौचालय निर्माण की राशि सीधे हितग्राही के खाते में 18
**स्वच्छ भारत मिशन : प्रश्नोत्तरी** : समस्या और समाधान 21
**विभागीय** : अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में लिये गये निर्णय और निर्देश 26
**स्वच्छ भारत अभियान : विशेष** : शौचालय : सोच, निर्माण और उपयोग 28
**स्वच्छ भारत अभियान** : ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन 30
**पंचायत गजट** : घरेलू शौचालय के निर्माण में दोहरे गड्ढों वाले लीच पिट तकनीक ..... 31

संपादक जी,

प्रधानमंत्री आवास योजना 'ग्रामीण' पर केन्द्रित अंक मिला। इस अंक में आवास को लेकर संपूर्ण जानकारी एक साथ प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद। आवास से संबंधित सभी पक्ष हम इस पत्रिका के माध्यम से जान पाये हैं। पत्रिका के द्वारा आम जन के साथ-साथ पंचायतकर्मियों को भी एकजाई जानकारी मिलने से वे हितग्राहियों को उचित मार्गदर्शन दे सकेंगे।

**- भावना सिंह**
भोपाल (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का मार्च अंक पढ़ा। आवास योजना की जानकारी के साथ उसका तकनीकी पक्ष भी प्रकाशित किया गया है। इससे कोई भ्रांति शेष नहीं है। आवास की डिजाइन, क्षेत्र सब कुछ इसमें प्रकाशित है। यह ग्रामीणों के लिए उपयोगी साबित होगा।

**- रमेश पवार**
ग्राम- मोरडोंगरी, तहसील - सारनी,
जिला बैतूल (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका के मार्च अंक में आवास के अलावा मनरेगा को लेकर शासन द्वारा जारी आदेश प्रकाशित किये गये हैं। जो दिशा-निर्देश के स्तर पर युक्तिसंगत कार्य है। यह शासकीय आदेश मार्गदर्शन के स्तर पर अत्यंत लाभकारी साबित होंगे।

**- ललिता सिंह**
ग्राम - ऐनस, तहसील - मुलताई

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका के मार्च अंक में आवास योजना की जानकारी तो है ही, इसके अतिरिक्त अन्य निर्देश तथा तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रकाशित है। तकनीकी जानकारी प्राप्त होने से पूर्ण आवास निर्माण करने में सुविधा होगी साथ ही तकनीकी मापदण्ड भी पूर्ण होंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के निर्देश सहित विस्तृत जानकारी प्रकाशित करने से यह अंक संग्रहणीय प्रतीत होता है।

**- अर्जुन कुमार तिवारी**
अशोका गार्डन, भोपाल

# स्वच्छता : सबसे आगे मध्यप्रदेश

**प्रिय पाठकगण,**

मध्यप्रदेश पिछले पाँच वर्षों से कृषि कर्मण अवॉर्ड प्राप्त कर रहा है। कृषि क्षेत्र में अग्रणी होने के साथ प्रदेश स्वच्छता में भी आगे है। स्वच्छ भारत अभियान मध्यप्रदेश के सर्वश्रेष्ठ योगदान का ही परिणाम है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में देशभर में इंदौर पहले और राजधानी भोपाल दूसरे स्थान पर है।

देश के प्रथम स्वच्छ 100 शहरों में मध्यप्रदेश के 22 शहर हैं। यह एक संतोषजनक और उत्साहवर्धक परिणाम है। हमारे लिए हर्ष की बात यह भी है कि प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत अभियान की परिकल्पना और सोच को मूर्तरूप देते हुए हमारे गाँव, कस्बे, मजरे, टोले भी सफल गाथाओं का इतिहास रच रहे हैं। मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस संकल्प के साथ मैदान में है कि गाँव का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, सक्रिय हो और एक सम्मानित जीवन जिये। वो खुले में शौच न जाएं, घर के अन्दर और बाहर सफाई रखें। गाँव के कचरे का उपयोग गाँव में ही हो। उस कचरे से जैविक खाद बने या ऊर्जा का निर्माण हो।

इस सम्पूर्ण अभियान में शासन, प्रशासन, आमजन, सभी के मिले-जुले प्रयासों के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश के 51 जिलों में से 6 जिले इन्दौर, हरदा, ग्वालियर, उज्जैन, नरसिंहपुर और सीहोर खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं।

हमारा लक्ष्य गाँधी जी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक सभी 22824 ग्राम पंचायतों के आवासीय घरों में स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना और संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को "खुले में शौच से मुक्त" बनाना है।

स्वच्छ भारत अभियान में भागीदारी के लिये प्रशासकीय अमले से लेकर पंचायतीराज प्रतिनिधियों तक सभी को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रेरणा का यह स्रोत अब आमजन तक प्रवाहित हो रहा है। इसमें समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कर स्वच्छता को लेकर सामाजिक बदलाव का प्रयास किया जा रहा है। हर जन, हर वर्ग, हर श्रेणी से इस अभियान को जोड़कर जन आंदोलन बनाने का प्रयास है। संपूर्ण स्वच्छ मध्यप्रदेश बनाने के लिये विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शासन-प्रशासन के साथ पंचायत प्रतिनिधियों को पूरे मनोयोग से जुड़ना होगा।

हमें एक बात साफ तौर पर समझना और समाज को समझाना होगी कि स्वास्थ्य चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक उसका आधार स्वच्छता है। 80 प्रतिशत बीमारियाँ चाहे शरीर की हों या मन की, गंदगी से ही पैदा होती हैं। स्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ समाज ही सम्पन्न राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। विकास की बुनियाद ग्रामीण भारत है। यदि गाँव स्वच्छ हुए तो, प्रदेश और देश स्वच्छ तथा समृद्ध होगा।

इसी विश्वास के साथ, शुभकामनाओं सहित।

**(गोपाल भार्गव)**
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

# स्वच्छ भारत अभियान 'ग्रामीण' के बढ़ते कदम

**प्रिय पाठको,**

मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के द्वारा प्रदेश के ग्रामों को पूर्ण स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय सहायता से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन संचालित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी।

इस मिशन का लक्ष्य है 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत का निर्माण करना। इस मिशन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। जब इससे समाज जुड़ेगा यह जनआंदोलन का रूप लेगा तभी हम लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 'ग्रामीण' के तहत विविध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है स्वच्छता, साफ-सफाई और खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना।

जागरुकता, सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता की आदतें अपनाकर समुदायों और संस्थाओं को प्रेरित करना है। गाँवों को खुले में शौचमुक्त करने के अलावा गाँव के ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन भी इस अभियान का महत्वपूर्ण पक्ष है। स्थाई स्वच्छता तभी संभव होगी जब हम प्रभावी और संगत प्रौद्योगिकी को उपयोग में लायें।

जहाँ तक गाँवों में शौचालयों के निर्माण और हितग्राहियों को राशि दिये जाने का प्रश्न है, वह पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर सिस्टम द्वारा सीधे हितग्राही के खाते में भुगतान किया जा रहा है। मध्यप्रदेश द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से होने वाली इस भुगतान प्रक्रिया को अन्य राज्यों ने भी लागू किया है।

मध्यप्रदेश पंचायिका के इस अंक में हमने 'स्वच्छ भारत मिशन' को लेकर विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों को प्रकाशित किया है। यह अंक स्वच्छता अभियान पर केन्द्रित है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन 'ग्रामीण' मध्यप्रदेश की सम्पूर्ण जानकारी के अलावा समय-समय पर होने वाले नवाचारों और परिणामों को इसमें शामिल किया है। कुछ सफल गाथाएँ भी इसमें समाहित हैं। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मध्यप्रदेश द्वारा वीडियो कांफ्रेंस के दौरान लिए गए निर्णय व निर्देश भी इसमें प्रकाशित हैं। स्वच्छ भारत मिशन 'ग्रामीण' को लेकर आपके मन में कई प्रश्न होंगे, क्रियान्वयन के दौरान कई उलझनें होंगी। समस्या-समाधान के तहत इस विषय से संबंधित सभी प्रश्नों को उत्तर सहित प्रकाशित किया जा रहा है।

उम्मीद है पंचायिका में प्रकाशित जानकारी और मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी साबित होगी।

हमें आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

इस अंक में बस इतना ही।

**(डॉ. मसूद अख्तर)**
आयुक्त, पंचायत राज

# प्रदेश के सभी ग्रामों को पूर्ण स्वच्छ बनाना है

मध्यप्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने का एक बड़ा लक्ष्य सामने है। इस लक्ष्य को वर्ष 2019 तक पूर्ण करना है। स्वच्छ भारत मिशन को व्यापक स्तर पर जन-आंदोलन के रूप में संचालित करना आवश्यक है, जिससे समय-सीमा में स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके।

स्वच्छता एक व्यवहार बदलाव का मुद्दा है अतः इस हेतु प्रभावी व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति के क्रियान्वयन की आवश्यकता है। राज्य में 'स्वच्छ भारत मिशन' (ग्रामीण) के तहत ग्रामीण स्तर पर व्यवहार बदलाव के लिए सामुदायिक अभिप्रेरणा गतिविधियों का उपयोग किया जा रहा है जिससे लोग पूर्ण रूप से खुले में शौच की प्रथा को बंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं और ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो रही हैं।

उनके द्वारा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तर पर प्रेरीकरण हेतु प्रेरकों का उपयोग करते हुए सभी विभागों के मैदानी कार्यकर्ताओं को स्वच्छता के मुद्दे से जोड़ा गया है जिसमें जनप्रतिनिधियों द्वारा भी बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में सरकारी अमले ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश के 51 जिलों में से 6 जिले इन्दौर, हरदा, ग्वालियर, उज्जैन, नरसिंहपुर तथा सीहोर खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। खुले में शौच मुक्त जिलों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य भी किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन को दृढ़ संकल्प के साथ संचालित किया जा रहा है। इस अभियान द्वारा खुले में शौच की बुराई और अस्वच्छता को दूर करने में सफलता मिल रही है। यह अभियान इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं और बहनों को खुले में शौच की वजह से जहाँ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है वहीं उनके मान-सम्मान और स्वाभिमान को भी ठेस पहुँचती है। गंदगी के कारण विभिन्न बीमारियों और संक्रामक रोगों का खतरा उन्हें रहता है। ग्रामीण महिलाओं की मर्यादा और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्यों से स्वच्छता अभियान को जन-जन तक पहुँचाना आवश्यक है।

मुझे विश्वास है कि लक्षित तिथि 02 अक्टूबर 2019 के पूर्व ही मध्यप्रदेश पूर्ण रूप से खुले में शौच की प्रथा से मुक्त प्रदेश बनेगा।

● **डॉ. अतुल श्रीवास्तव**
राज्य कार्यक्रम अधिकारी
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.)

*गाँव के सभी पात्र परिवार, व्यक्तियों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। अगले तीन वर्षों में प्रदेश में कोई भी आवासहीन नहीं रहेगा। इस वर्ष 5 लाख आवासहीनों को आवास दिये जा रहे हैं। राज्य सरकार एक रुपया किलो गेहूँ, चावल, नमक प्रदेश की बीपीएल सहित 22 श्रेणी के पात्र परिवारों को उपलब्ध करवा रही है। ऐसी अनेक जन-कल्याणकारी योजनाएँ सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। इनका लाभ लेने से कोई पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे, यह अभियान का उद्देश्य है। किसान की आय को दोगुना करने के लिये मिट्टी परीक्षण और उन्नत कृषि तकनीक आदि के माध्यम से खेती करने का सभी ग्रामों में रोडमेप तैयार किया जायेगा।*

## ग्रामोदय से भारत उदय

# गाँवों के विकास का समागम

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने भोपाल जिले के ग्राम हर्राखेड़ा में 'ग्रामोदय से भारत उदय' अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि हम अक्सर कई प्रकार के 'डे' मनाते हैं, अब हम गाँव के लिये माह को मनायें। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान में ग्राम संसद, ग्रामसभा में गाँव की जरूरतों को पूरा करने वाले ग्राम डेव्हलपमेंट प्लान को तैयार करें। योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को पहुँचाना सुनिश्चित करें और समर्थ तथा सक्षम व्यक्ति, जो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, वह स्वेच्छा से लाभ लेना छोड़ दें। ग्राम संसद में यह सब प्रस्ताव पारित करें।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि गाँव के सभी पात्र परिवार, व्यक्तियों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। अगले तीन वर्षों में प्रदेश में कोई भी आवासहीन नहीं रहेगा। इस वर्ष 5 लाख आवासहीनों को आवास दिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक रुपये किलो गेहूँ, चावल, नमक प्रदेश की बीपीएल सहित 22 श्रेणी के पात्र परिवारों को उपलब्ध करवा रही है। ऐसी अनेक जन-कल्याणकारी योजनाएँ सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। इनका लाभ लेने से कोई पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे, यह अभियान का उद्देश्य है। किसान की आय को दोगुना करने के लिये मिट्टी परीक्षण और उन्नत कृषि तकनीक आदि के माध्यम से खेती करने का सभी ग्रामों में रोडमेप तैयार किया जायेगा।

- **सभी ग्राम पंचायत ग्राम संसद की कार्यवाही विभागीय पोर्टल पर करें अपलोड।**
- **प्रत्येक ग्राम में तालाब निर्माण और कम से कम एक नदी-नाले का जीर्णोद्धार जरूर करें।**
- **सभी ग्राम पंचायत ग्राम संसद की कार्यवाही विभागीय पोर्टल पर करें अपलोड।**

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि महिलाओं के लिये स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाये जायें। सभी ग्रामवासी अपने गाँव में तालाब निर्माण और गाँव के कम से कम एक नदी-नाले का जीर्णोद्धार जरूर करें।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि प्रदेश के सभी ग्रामों में ग्राम संसद की कार्यवाही ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट के पोर्टल पर अपलोड होगी। इसका अवलोकन वह और मुख्यमंत्री श्री चौहान करेंगे।

मंत्री श्री भार्गव ने ग्रामीणों से अपने-अपने ग्राम की ग्राम संसद में शामिल होने का अनुरोध किया और कहा कि ग्राम संसद में दी गयी जानकारी पर कार्यवाही प्रभावशाली ढंग से पारदर्शिता के साथ होगी।

मंत्री श्री भार्गव ने ग्रामीणों से ग्रामीण विकास विभाग की गाँव में संचालित अनेक योजनाओं के पात्र हितग्राहियों और वंचित हितग्राहियों की हाथ उठवाकर जानकारी ली। श्री भार्गव ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर के देश और समाज को दिये योगदान की भी चर्चा की। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनमोहन नागर और विधायक श्री विष्णु खत्री ने भी संबोधित किया। अभियान की रूपरेखा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आशीष भार्गव ने प्रस्तुत की। इस अवसर पर प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री बी.के. बाथम, कमिश्नर भोपाल श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, जनपद पंचायत अध्यक्ष बैरसिया श्रीमती भागवती गुर्जर और कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े मौजूद थे।

# गढ़ाकोटा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सात सौ विवाह सम्पन्न

प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अगुवाई में 29 अप्रैल को गढ़ाकोटा में कन्या विवाह का पुण्य सामूहिक सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इस समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव सहित जनप्रतिनिधियों तथा विशिष्ठजनों ने शामिल होकर नवदम्पत्तियों को शुभाशीष प्रदान किया।

गढ़ाकोटा के कृषक स्टेडियम में सम्पन्न कन्या विवाह के पुण्य सामूहिक सम्मेलन में पंचायत मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि यह सामूहिक सम्मेलन प्रारंभ हुए 16 वर्ष हो चुके हैं। यह 16वां पुण्य समारोह है जिसमें 21 मुस्लिम कन्याओं के निकाह उनकी धार्मिक परम्परानुसार मौलवियों के द्वारा सम्पन्न हुए हैं। इसके अलावा समाज की विभिन्न जातियों के कन्या विवाह वैदिक परम्परा से सम्पन्न हो रहे हैं। इस सममेलन में समाज के हर वर्ग व जातियों को एक मण्डप में बैठकर परिणय बंधन में बंधने की परम्परा शुरू हुई है। यह सामाजिक समरसता के लिए किया गया प्रयास है। इस आयोजन में हर जाति, वर्ग के जोड़ों को एक समान सम्मान भोजन, ठहरने एवं आने जाने की व्यवस्थाएं समान रूप से की गयी। इस समारोह में कुल 700 सौ कन्याओं के विवाह सम्पन्न हुए। मंत्री श्री भार्गव ने शासन नियमानुसार वर एवं वधु को उपहार स्वरूप राशि भी प्रदान की।

इस मौके पर श्री भार्गव ने कहा कि यहां एक ही मण्डप के नीचे बड़ी संख्या में कन्याओं के विवाह समारोह के रूप में आयोजित कर सम्पन्न कराये जाते हैं। आप सभी सामाजिक सरोकार से जुड़े। उन्होंने सात फेरों के साथ नशा मुक्ति की भी शपथ दिलाई और कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है। इसे हम सबको मिलकर मिटाना है। उन्होंने विवाह समारोह में कहा कि गांव-गांव में अवैध शराब बिक्री रोकने की पहल की जाये। जिसमें महिलाओं को अधिक से अधिक जागरुक करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि बाल विवाह प्रथा और दहेज प्रथा बंद हो। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या रोकने की बात कही। सामूहिक विवाह समारोह में वर एवं वधु को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप सभी लोग नवदाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने जा रहे हो आप सभी एक-एक पौधा लगायें और उसे जीवित रखने का भरपूर प्रयास करें। इस मौके पर नव-दम्पत्तियों को स्मार्ट फोन भी दिये गए स्मार्ट फोन देने का तात्पर्य है यदि आपके गाँव में नशा तथा अवैध शराब बिक्री होती है, तो तुरन्त सूचना पुलिस को दी जाये। कन्याओं की विदाई करते हुए उपहार सामग्री के साथ-साथ एक-एक मोगरी भी दी गई। अंत में आभार प्रदर्शन श्री अभिषेक भार्गव ने किया।

गढ़ाकोटा में सम्पन्न कन्या विवाह के सामूहिक सम्मेलन में शुभाशीष देने पथरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री लखन पटेल, श्री अभिषेक भार्गव, श्री शैलेष केशरवानी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती मंजू खरे, श्री के.के. खरे, नगरपालिका अध्यक्ष श्री भरत चौरसिया, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री संजय दुबे, नगरपालिका उपाध्यक्ष श्री मनोज तिवारी, पत्रकारगण, नवयुगल दम्पत्तियों के परिवारजन और बड़ी संख्या में आमजन

# स्वस्थ और सशक्त भारत की बुनियाद है स्वच्छता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने अपनी सत्ता संभालते ही जिस एक बड़े अभियान की शुरूआत की वह अभियान है स्वच्छता का। उन्होंने इसके लिए जितना अपने तंत्र को चुस्त-दुरुस्त किया है उतना ही लोक जीवन को उनके दायित्व का बोध भी कराया। उन्होंने न केवल अपने जन-प्रतिनिधियों को सार्वजनिक स्थान पर साफ-सफाई शुरू करने का आह्वान किया बल्कि वे खुद भी झाड़ू लेकन सड़क पर निकले। उन्होंने इंडिया गेट पर बाकायदा झाड़ू लगाकर कचरा बटोर कर इस स्वच्छता अभियान की शुरूआत की और आगे चलकर एक ऐसी गाइड लाइन तैयार की जिसके आधार पर जन और प्रतिनिधि दोनों मिलकर काम कर सकें। यह अभियान दो स्तरों पर लागू किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग और नगरीय क्षेत्र के लिए अलग।

ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पहली बार स्वच्छता अभियान पर जोर दिया हो। इससे पहले कई बार महापुरुषों ने इसकी पहल की थी। भारत में वैदिककाल में तो ऋषियों की पहली प्राथमिकता केवल स्वच्छता पर थी, वस्त्रों की, घर की, मार्गों की, मंदिरों की, आश्रमों की और इससे आगे बढ़कर आचरण की, विचारों की, चित्त की, वृत्तियों की, मन की, बुद्धि की, इसका कारण यह है स्वच्छता आधार है स्वास्थ्य का और स्वास्थ्य आधार है सशक्तता का, समृद्धि का, भला तन-मन बुद्धि से बीमार व्यक्ति किसी स्पर्धा में आगे हो सकता है? वह स्पर्धा चाहे प्रगति की, धनार्जन की हो, विद्या अध्ययन की हो अथवा किसी राष्ट्र की समृद्धि की, अब वैज्ञानिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि 90 प्रतिशत रोगों का कारण केवल स्वच्छता है। जो न केवल शरीर को बल्कि मन को भी रुग्ण बनाती है। इसीलिए स्वच्छता प्रगति का पहला पायदान है। जिसकी शिक्षा गुरुकुल में प्रत्येक बालक को दी जाती थी इसमें किसी को छूट नहीं थी। न राजकुमारों को और न ब्रह्मकुमारों को। यह शिक्षा परशुराम ने भी ली, दशरथनंदन राम ने भी और यशोदानंदन कृष्ण ने भी।

यदि हम तमाम वैदिक और पौराणिक आख्यानों को छोड़ भी दें तो भी गांधी जी ने आजादी की लड़ाई की शुरूआत सफाई अभियान चलाकर ही की थी, इसलिए मोदी जी ने अपने अभियान की शुरूआत के लिए गांधी जी की जन्मतिथि दो अक्टूबर को ही चुना। गांधी जी ने स्वयं गंदी बस्तियों में जाकर झाड़ू लगाई। ताकि जागरण हो सके। आजादी के बाद इसकी पहल भारत सरकार ने भी की। पहली पंचवर्षीय योजना ने अनेक प्रगति के अभियानों के साथ-साथ स्वच्छता मिशन को भी जोड़ा गया। लेकिन तब यह अभियान केवल सरकारी होकर रह गया। नगर पालिकाओं और स्थानीय संस्थाओं में विभाग खुले, भर्तियां हुई। लेकिन बात आगे न बढ़ सकी। पता नहीं क्यों लोगों के मन में यह धारणा बैठ गई कि उन्हें सड़क गंदा करने का अधिकार है और सरकार का काम सफाई करने का। यह दृश्य भी देखे गए कि सफाई कर्मचारी ने सड़क साफ की, या रेल्वे प्लेटफार्म पर झाड़ू लगाई और आधा घंटे बाद फिर कचरा। जिसका नतीजा यह रहा कि सरकार के करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद भी कोई सफाई न हो सकी। इसके गवाह वर्ष 1981 के वे जनगणना आंकड़े हैं, जिनमें देश की स्वच्छता का प्रतिशत मात्र एक पाया गया। और 80 प्रतिशत बीमारियों का कारण इसी अस्वच्छता को माना गया।

यह भी माना गया कि भारत के विकास का आधार गांव हैं। अस्वच्छता का असर उन फल, सब्जी, अनाज पर भी पड़ता है जो जीवन का आधार हैं इसीलिए वर्ष 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम आरंभ किया गया ताकि लोगों का मानसिक और शारीरिक जीवन स्तर सुधर सके। घर-घर में शौचालय बनें। यह भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। ताकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को निजता प्राप्त हो सके। इसकी अगली कड़ी

में वर्ष 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरूआत की गई। इस अभियान में जहां सरकारी तंत्र को अधिक सक्रिय बनाना था वहीं जनजाग्रति का अभियान भी शामिल था। इस जाग्रति के लिए वर्ष 2005 में निर्मल ग्राम पुरस्कार की घोषणा की गई और वर्ष 2012 में निर्मल भारत अभियान शुरू किया गया। इसके अंतर्गत भी हर गांव-घर साफ रहे। गांवों के प्रत्येक घर में शौचालय बने। यह सब कार्यक्रम बनाए गए किंतु यह भी कोई जन अभियान का वह रूप नहीं ले सके जितनी उम्मीद की जा रही थी।

इन सब अभियानों और उनके परिणाम की समीक्षा करके प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत की। तीन विभागों को इसका समन्वयक बनाया गया। इसके दो घटक बनाए गए। एक ग्रामीण और दूसरा नगरीय।

इस कार्यक्रम का पांच साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया और संकल्प लिया गया कि कम से कम 2019 तक इसके लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा। इस मिशन में यह अनिवार्य किया गया कि स्वच्छ भारत के अंतर्गत यदि ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाती है तो

कार्यक्रम की सफलता के लिए स्थानीय लोगों को जरूर जोड़ा जाए। स्वच्छता का संदेश घर-घर जाए तथा स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लेकर स्वच्छता दूत तैयार किए जायें। ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के लिए प्रोत्साहन राशि उन राज्यों के लिए उपलब्ध है जो इसे उपलब्ध कराना चाहते हैं। इसका उपयोग कवरेज को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है ताकि समुदाय संबंधी उपलब्धियां हासिल की जा सकें। राज्यों को प्रोत्साहन राशि के उपयोग के संबंध में लोचनीयता प्राप्त होगी। दी गई प्रोत्साहन राशि व्यक्तिगत, परिवारों अथवा जहां ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों, जिलों में मांग में बढ़ोत्तरी करने के लिए सामुदायिक मॉडल को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया गया है, वहां संपूर्ण समुदाय अथवा दोनों के लिए हो सकती है। चूंकि प्रत्येक व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि 12000 रुपये है इसलिए राज्य संपूर्ण राशि (केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी) प्राप्त करने के पात्र होंगे। तथापि, मिशन पर भारित प्रोत्साहन राशि का उपयोग पूर्णतः जल एवं स्वच्छता क्षेत्रों पर किया जाएगा।

खुले में शौच मुक्त पर्यावरण के उद्देश्य से शौचालयों के उपयोग के लिए व्यवहारगत बदलाव के लिए समुदाय को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने को प्राथमिकता दी गई है। उपलब्ध जनशक्ति, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं

**भारत में वैदिककाल में तो ऋषियों की पहली प्राथमिकता केवल स्वच्छता पर थी, वस्त्रों की, घर की, मार्गों की, मंदिरों की, आश्रमों की और इससे आगे बढ़कर आचरण की, विचारों की, चित्त की, वृत्तियों की, मन की, बुद्धि की, इसका कारण यह है स्वच्छता आधार है स्वास्थ्य का और स्वास्थ्य आधार है सशक्तता का, समृद्धि का, भला तन-मन बुद्धि से बीमार व्यक्ति किसी स्पर्धा में आगे हो सकता है? वह स्पर्धा चाहे प्रगति की, धनार्जन की हो, विद्या अध्ययन की हो अथवा किसी राष्ट्र की समृद्धि की, अब वैज्ञानिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि 90 प्रतिशत रोगों का कारण केवल स्वच्छता है। जो न केवल शरीर को बल्कि मन को भी रुग्ण बनाती है। इसीलिए स्वच्छता प्रगति का पहला पायदान है। जिसकी शिक्षा गुरुकुल में प्रत्येक बालक को दी जाती थी इसमें किसी को छूट नहीं थी। न राजकुमारों को और न ब्रह्मकुमारों को।**

मीडिया का प्रभावी उपयोग स्वच्छता एवं साफ-सफाई के लाभों का संदेश देने के लिए किया जा रहा है। यह आवश्यक है कि किफायती शौचालयों की प्रौद्योगिकी तथा लागत के संबंध में लाभार्थी को पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। डिजाइनों की उपयुक्तता के बारे में जानकारी देना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों तथा समुदायों द्वारा ओवर डिजाइन करने के माध्यम से अनावश्यक व्यय नहीं किया गया है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञता संबंधी विशेषज्ञ समिति और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की वेबसाइट पर नवीन फोरम, अभिनव प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देती है।

**सामुदायिक स्वच्छता परिसर**

शौचालय की सीटों, स्नान घरों, धोने की जगह, वाशवेसिन आदि की उपयुक्त संख्या सहित सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की स्थापना गांव में उस स्थान में की जा सकती है जो सभी को स्वीकार्य तथा सभी के लिए उपयोगी हो। साधारण तौर पर ऐसे परिसरों का निर्माण केवल तब किया जाएगा जब पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए गांव में जगह की कमी हो। समुदाय तथा ग्राम पंचायत उनके क्रियान्वयन तथा रखरखाव की जिम्मेवारी लें और उसके लिए विशिष्ट मांग करें। ऐसे परिसरों का निर्माण उन सार्वजनिक जगहों, बाजारों, बसस्टैंड आदि जगहों पर किया जा सकता है जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं।

मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की स्थापना एवं प्रबंधन के संबंध में एक पुस्तिका जारी की है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिसरों की स्थापना के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस पुस्तिका को मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

**सहायता राशि**

सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए निर्धारित प्रति इकाई अधिकतम सहायता 2 लाख रुपये है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समुदाय के बीच हिस्सेदारी 60:30:10 के अनुपात में होगी। इसके अलावा पंचायत द्वारा अपने संसाधनों से, वित्त आयोग के अनुदान से किसी अन्य निधि से अथवा राज्य, जिला या ग्राम पंचायत से यथा प्राप्त किसी अन्य स्त्रोत से सामुदायिक अंशदान किया जा सकता है। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों, सार्वजनिक शौचालयों के वित्त पोषण के लिये राज्य अलग-अलग परिसरों की लागत बढ़ाने के लिए सीएसआर, सीएसओ, एनजीओ से अतिरिक्त निधियां जुटा सकते हैं।

● **रमेश शर्मा**

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं)

## दोस्तों के साथ मिलकर बनाया शौचालय

**देवालपुर के कलासुरा पंचायत के गांव मोहना में रहने वाले 11 साल के अल्फाज की भी जिद की अपनी ही कहानी है। पिता मामूली किसान हैं, घर चलाना भी मुश्किल है, लेकिन जब अल्फाज ने गांव में शौचालय बनते देखे तो पिता से भी इसे बनवाने की जिद की। कारण दिया की घर के बाहर जाने से माँ, बहन की इज्जत खराब होती है। पिता ने आर्थिक हालत का हवाला दिया तो अल्फाज ने खुद ही तय कर लिया उसने पास के दो दोस्तों को साथ लिया और स्कूल से आने के बाद रोज एक घंटे दोस्तों के साथ गड्ढा खोदने में लग गया । पिता ने जब बच्चे को यह काम करते देखा तो उन्होंने भी लोगों से उधार लेकर शौचालय बनाने में मदद की और उनके घर शौचालय बन गया है।**

# फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने निकाली सोख्ता गड्ढे से खाद

मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के रेगवां गांव में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को लेकर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार एक किसान के घर पहुंचे। इस दौरान अक्षय ने स्वच्छता का संदेश देकर हजारों ग्रामीणों को सरकार के अभियान को सफल बनाने का संकल्प दिलाया। इसी दौरान अक्षय कुमार गांव के निवासी श्री राधेश्याम पटेल के घर गये और भरे हुए सोखता गड्ढे में से मानव मल निर्मित सोन खाद को निकाला एवं खाद को हाथ में लेकर लोगों को यह बताने की कोशिश की कि गड्ढे वाला शौचालय एक सुरक्षित शौचालय है। जिसमें एक समय सीमा तक सुरक्षित निपटान हो जाता है और एक उपयोगी खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस अभियान में नरेंद्र सिंह तोमर केन्द्रीय मंत्री, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सचिव परमेश्वरन अय्यर तथा अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश श्री राधेश्याम जुलानिया, श्री पंकज माथुर यूनिसेफ वॉश स्पेशलिस्ट, श्री नागेश्वर पाटीदार यूनिसेफ वॉश ऑफिसर और श्री साबिर इकबाल राज्य सलाहकार भी शामिल थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अक्षय कुमार ने कहा कि इतनी सुबह हो रहे इस आयोजन में इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर मुझे यकीन हो गया है कि स्वच्छ भारत का सपना जल्द साकार होगा। इस दौरान अक्षय कुमार ने प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वच्छता को लेकर किये जा रहे कार्यों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि गन्दगी मिटाने की शुरुआत हम अपने घर से करेंगे तो पूरा देश अपने आप खुले में शौच और गंदगी से मुक्त हो जायेगा। स्वच्छता मिशन को लेकर हो रहे कार्यों को लेकर अक्षय का कहना था कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो गंदगी से मुक्त होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि मोदी जी की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि भारत गंदगी से मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर अभिनेता अक्षय कुमार ने सभी को संकल्प दिलाया कि स्वच्छ भारत के सपने को मूर्तरूप देने में सहभागिता करें।

इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि पूरे भारत में एक लाख से अधिक गांव ओडीएफ हो चुके हैं और 2019 तक प्रधानमंत्री का सपना साकार रूप ले लेगा। उन्होंने रेगवाँ के किसान राधेश्याम पटेल का उदहारण देते हुए सभी से शौचालय निर्माण कर उसका उपयोग करने की अपील की। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर के साथ पहुंचे अक्षय कुमार को देखकर किसान परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था।

राधेश्याम पटेल परिवार ने गांव- गांव घूमकरग्रामीणोंकोसंकल्पदिलानेका फैसला लिया। अभिनेता अक्षय कुमार का सोखता गड्ढा में बनी हुई खाद से जुड़ी हुई भ्रातियां दूर करना रेगवां गांव के साथ पूरे प्रदेश में जन जागरुकता के लिये एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

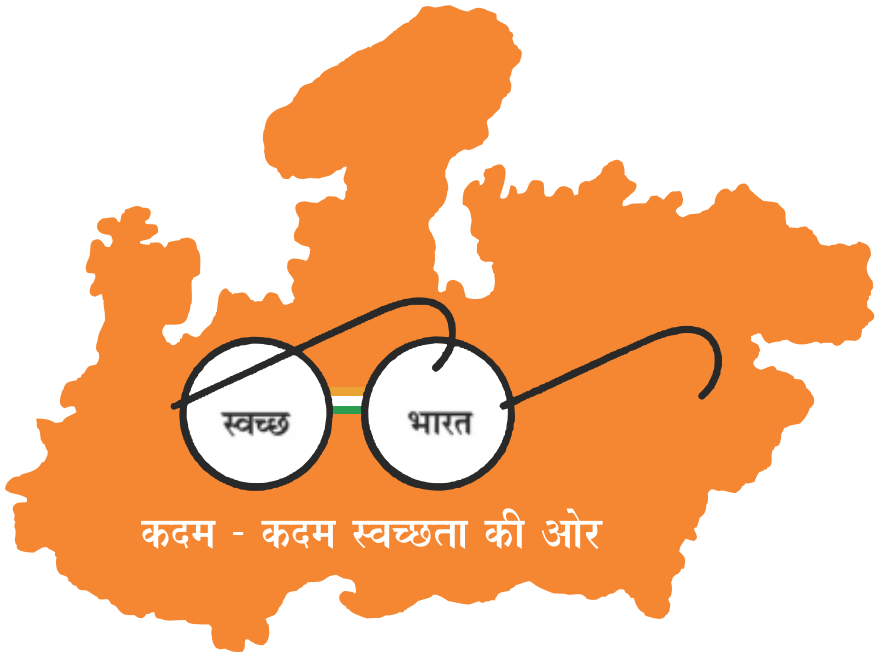


**मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत अभियान के 2 अक्टूबर 2019 तक सभी 22824 ग्राम पंचायतों के आवासीय घरों में स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध करना तथा संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को "खुले में शौच" से मुक्त बनाना है।**

# स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मध्यप्रदेश

आजादी के साथ ही भारत के विकास का ताना बुना गया। विकास के विभिन्न मापदण्डों में यह बात तभी स्पष्ट हो गयी थी कि स्वच्छता से स्वस्थ जीवन और स्वस्थ जीवन से समृद्धि आती है। इसीलिए भारत में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना के रूप में 1954 में शुरू किया गया था। लेकिन जब 1981 की जनगणना में पता चला कि ग्रामीण स्वच्छता कवरेज मात्र 1 प्रतिशत है। तब इसकी गति को बढ़ाने का प्रयास हुआ और 1981-90 के दौरान पेयजल तथा स्वच्छता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दशक में ग्रामीण स्वच्छता पर जोर देना शुरू किया गया। भारत सरकार ने वर्ष 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 'सीआरएसपी' शुरू किया जिसका उद्देश्य प्राथमिक रूप से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा महिलाओं को निजता तथा सम्मान प्रदान करना था। 1999 से "सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान" शुरू हुआ। इस अभियान में ग्रामीण लोगों के बीच जागरुकता तथा स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग सृजन में वृद्धि करने के लिए सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण, मानव संसाधन विकास, क्षमता विकास गतिविधियों पर अधिक जोर दिया। इसमें लोगों की आर्थिक स्थिति के अनुसार, वैकल्पिक तंत्रों के जरिए समुचित विकल्पों का चयन करने के लिए उनकी क्षमता में बढ़ोत्तरी की गयी। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण तथा उपयोग पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए। इन सब प्रयासों के चलते स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी किन्तु परिणाम आशानुरूप नहीं रहा।

2 अक्टूबर 2014 से पूरे देश में स्वच्छता की एक अनोखी सामूहिक शुरुआत की गई। मिशन को आगे बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है। मिशन के अंतर्गत पारिवारिक स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण सुनिश्चित कराने के साथ समुदाय में व्यक्तिगत स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करने के लिए जागरुकता लाने के सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। जिलों में कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला जल तथा स्वच्छता समिति के माध्यम से किया जाता है।

### स्वच्छ भारत मिशन 'ग्रामीण' के उद्देश्य

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात का मंथन किया कि स्वच्छता के लिए समुदाय की भागीदारी और सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है जब तक आमजन इससे नहीं जुड़ेगा यह संभव नहीं है। उन्होंने हर जन, हर वर्ग, हर श्रेणी को इससे जोड़ा और इसे जन आंदोलन बनाया।

- स्वच्छता, साफ-सफाई और खुले में शौच प्रथा समाप्त करने को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना।
- दो अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की गति तेज करना।
- जागरुकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता की आदतें अपनाकर समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रेरित करना।
- पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित तथा स्थायी स्वच्छता के लिए प्रभावी और संगत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
- जहां भी आवश्यक हो, ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण साफ-सफाई के लिए वैज्ञानिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए समुदाय प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों का विकास।

# मध्यप्रदेश को पूर्ण स्वच्छ बनाने का प्रयास

मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 2 अक्टूबर 2019 तक सभी 22824 ग्राम पंचायतों में शामिल ग्रामों के सभी घरों में स्वच्छ शौचालय का निर्माण कर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करना है। इसके साथ-साथ निरंतर स्वच्छता केलिएसभीग्रामोंमेंठोसएवंतरल अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है।

मध्यप्रदेश में 2 अक्टूबर 2014 को 75,82,972 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण किया जाना था। जिसके अंतर्गत एक अप्रैल 2017 तक 44,10,402 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया गया। शेष 41,57,244 शौचालयों का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2017-18 तक 2275744 शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य है। शेष 1881500 शौचालयों का निर्माण 2018-19 तक किया जाएगा।

प्रदेश में 2 अक्टूबर 2014 को 51350 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त किया जाना था जिसके तहत 1 अप्रैल 2017 को 16610 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त किया गया। शेष 32,633 ग्रामों में से 18,250 ग्रामों को 2017-18 में तथा 14,383 ग्रामों को 2018-19 में खुले में शौच से मुक्त किये जाने का लक्ष्य है।

प्रदेश में 2 अक्टूबर 2014 को 51 जिलों को खुले में शौच मुक्त किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसमें से 1 अप्रैल 2017 को 06 जिले खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। शेष 45 जिलों में से 20 जिले वर्ष 2017-18 में तथा 25 जिले 2018-19 में खुले में शौच से मुक्त किये जायेंगे।

प्रदेश की सभी 22824 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन का लक्ष्य है। इसके तहत वर्ष 2017-18 में 3000 ग्राम पंचायतों को तथा 2018-19 में 10,000 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन किए जाने का लक्ष्य है।

समुदाय को जाग्रत कर अभियान में उनकी भागीदारी के लिये 10 हजार प्रशिक्षित

स्थानीय ग्रामवासियों का प्रेरक एवं स्वच्छता दूत के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अभी तक 7000 स्वच्छता दूत, 5500 प्रेरक एवं 1000 प्रशासनिक अमले को समुदाय आधारित स्वच्छता गतिविधियों के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया है। मिशन लीडर कलेक्टर को भी नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। कार्यों के सघन रूप से अनुश्रवण के लिए ग्राम से लेकर राज्य स्तर तक सशक्त मॉनीटरिंग एवं बाह्य निकाय द्वारा प्रगति का सत्यापन किया जाता है। 01 जुलाई 2016 से हितग्राहियों को सरलता से शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि भुगतान के लिए www.swachh.mp.gov.in पोर्टल द्वारा एफ.टी.ओ. प्रणाली के माध्यम से सीधे संबंधित हितग्राही के खाते में राशि भेजी जा रही है। विगत वर्ष 2015-16 में 87783.21 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्मित शौचालयों की प्रोत्साहन राशि के रूप में 171592.28 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

ग्रामों को स्वच्छ बनाने के लिए इस वर्ष प्रदेश की कुल 3000 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का प्रावधान किया गया है। मिशन के उद्देश्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए खेल, कला, संस्कृति, साहित्य, उद्योग आदि क्षेत्रों के ख्यात व्यक्तियों को "ब्रॉड एम्बेसडर" के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों, धार्मिक उपदेशकों, स्वयं सहायता समूह, स्कूली बच्चों तथा प्रशिक्षित किन्नरों का समुदाय अभिप्रेरण में व्यापक उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश के सांसदों तथा विधायकों द्वारा गांवों को गोद लेकर उन्हें खुले में शौच से मुक्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य के नवाचार प्रयासों में भाई नं. 1 एवं रद्दी से समृद्धि को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली।

समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता प्रशिक्षण सभी 51 जिलों में कराया गया है जिसके अन्तर्गत 5500 से ज्यादा प्रेरकों का चयन कर समुदाय अभिप्रेरण के माध्यम से समुदाय को स्वच्छता अभियान से जोड़ा गया है जिसमें- प्रत्येक ग्राम पंचायत में पदस्थ कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक पंचायत, स्वसहायता समूह, ग्राम कोटवार एवं बाल, महिला समूह को जोड़ा गया।

## अभियान के अंतर्गत किये जा रहे विशिष्ट प्रयास

- **प्रत्येक जिले में प्रति माह जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय प्रेरकों को मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान से सम्मानित किया जाकर प्रोत्साहित किया जा रहा है।**
- **शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि का स्वच्छ एम.पी. पोर्टल द्वारा हितग्राहियों के खाते में ऑनलाईन भुगतान किया जा रहा है। अभी तक 16 लाख हितग्राहियों के खातों में सीधे प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया। इस पद्धति के उपयोग से शौचालय निर्माण की गति तेज हुई है।**
- **खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त धन राशि दी जाकर तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों के लिये धन राशि उपलब्ध कर प्राथमिकता से प्रोत्साहित किया जा रहा है।**

# स्वच्छ भारत मिशन

**मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन 'ग्रामीण' के तहत प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए शौचालय निर्माण की प्रक्रिया को गति दी गई, जिसके अच्छे परिणाम निकलकर आए। इस बीच यह भी स्पष्ट हुआ कि गाँवों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए समाज को जोड़ना होगा। इसके लिए जरूरी है कि शौचालय निर्माण के साथ-साथ शौचालय उपयोग के लिए समुदाय के व्यवहार में बदलाव किया जाए। स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह भी जरूरी है कि जिले में पदस्थ कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभियान का कुशल नेतृत्व करें। इन सभी स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए उन्मुखीकरण, सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन की पद्धतियों का उपयोग, प्रचार-प्रसार, सतत् मॉनीटरिंग प्रोत्साहन सभी की आवश्यकता है। इसके लिए मध्यप्रदेश में विभिन्न चरणों में कार्य किया गया, जिसके प्रभावी क्रियान्वयन से आज सकारात्मक परिणाम निकलकर आ रहे हैं।**

राज्य स्वच्छ भारत मिशन द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत विभिन्न स्तर पर प्रयास किए गए तथा मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कई कार्य किये गये और प्रभावी कदम उठाये गये।

**कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का उन्मुखीकरण-** मिशन को जनआन्दोलन बनाकर लक्ष्यों को समय-सीमा में प्राप्त करने तथा मिशन का नेतृत्व करने के लिये प्रदेश के सभी 51 जिलों के कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को राज्य स्तरीय कार्यशाला के माध्यम से प्रेरित किया गया है। कार्यशाला में प्राप्त प्रशिक्षण व उन्मुखीकरण के बाद क्षेत्र में व्यवहारगत परिणाम निकलकर आए हैं। जिला कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा अपने जिलों में समाज के सभी वर्गों का मिशन में सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश में

# 'ग्रामीण' मध्यप्रदेश की पहल

शौचालयों के निर्माण और उपयोग में बढ़ोत्तरी हुई है। खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

**सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन की पद्धतियोंकाव्यापकउपयोग-** समुदाय आधारित स्वच्छता पद्धतियों के माध्यम से स्थानीय प्रशिक्षित प्रेरकों के द्वारा ग्रामीणों को स्वच्छता की आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। सामुदायिक नेतृत्व को उभारने का प्रयास किया गया। अब तक 51 जिलों में ब्लॉक स्तरीय प्रेरकों द्वारा जन जागरूकता की सघन गतिविधियां की जा रही हैं। जिसके परिणामस्वरूप 6999 से अधिक ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हुई तथा प्रदेश के 6 जिले इंदौर, हरदा, ग्वालियर, उज्जैन, सीहोर और नरसिंहपुर पूर्णतः खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं।

**खुले में शौचमुक्त ग्राम पंचायत के संवहनियता के लिए प्रोत्साहन-** ब्लॉक स्तरीय प्रेरकों तथा ग्राम स्तरीय स्वच्छता दूतों का उपयोग ग्रामों को खुले में शौच मुक्त करने के लिए किया गया। उनके इस प्रेरक कार्य को निरन्तर रखने के लिए प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही, प्रत्येक जिले द्वारा वर्ष में दो बार इसका सत्यापन कराया जाता है और इसकी धारणीयता को सुनिश्चित किया जा रहा है।

## प्रमुख उपलब्धियाँ

- अभी तक 109 लाख आवासीय घरों में से कुल शौचालय सहित परिवार 65.53 लाख।
- शौचालय विहीन परिवार- 46.26 लाख।
- 6 जिले खुले में शौच से मुक्त, इन्दौर, हरदा, ग्वालियर, उज्जैन, नरसिंहपुर और सीहोर।
- 22824 ग्राम पंचायतों में से 7000 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त।
- कुल 51350 ग्रामों में से 16611 ग्राम खुले में शौच से मुक्त।
- वर्ष 2016-17 में 18.50 लाख शौचालयों के लक्ष्य को पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2017-18 में 23 लाख शौचालयों का निर्माण किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा में ही मध्यप्रदेश को खुले में शौच से मुक्त किये जाने की तैयारी है।
- गत जुलाई-2016 से मध्यप्रदेश में हितग्राही के खाते में सीधे एफटीओ से राशि हस्तांतरित की जा रही है। अभी तक इससे 15.19 लाख हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं।
- 22 मई, 2017 तक 5 जिलों- भोपाल, बुरहानपुर, खरगौन, नीमच एवं आगर-मालवा को खुले में शौच से मुक्त किए जाने की तैयारी है।
- ग्वालियर जिले में शौचालय निर्माण की गुणवत्ता तथा कम लागत के बायोटॉयलेट निर्माण अनूठा प्रयास है। भारत सरकार के सत्यापन दल द्वारा इसे सराहा गया है। दल द्वारा कम लागत के बायोटॉयलेट को पूरे देश में निर्माण कराने की सिफारिश भी की गई है।
- मध्यप्रदेश पूरे देश में शौचालय निर्माण के फोटो अपलोड में प्रथम तथा व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण में तृतीय स्थान पर है।

**जनप्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों की भागीदारी-** स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सांसद तथा विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को खुले में शौचमुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके द्वारा गोद ली गई पंचायतों सहित अपने निर्वाचन क्षेत्र में समुदाय को प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही वे स्वच्छ भारत अभियान की समय-समय पर जिलों में अधिकारियों के साथ समीक्षा कर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं।

**सोशल मीडिया का उपयोग-** सोशल मीडिया साधन, वाट्सएप, बाईक पर जिला तथा विकासखण्ड स्तर के भागीदारों का ग्रुप बनाया है। जिसमें अभियान से जुड़ी जानकारी और अनुभव साझा किये जाते हैं।

**खुले में शौचमुक्त ग्राम पंचायतों के लिए प्रोत्साहन-** राज्य द्वारा खुले में शौचमुक्त पंचायत को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्तर पर निर्धारित किया गया है।

**अनुश्रवण एवं निगरानी-** 2 अक्टूबर 2014 में अभियान के आरंभ से ही मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन को प्राथमिकता दी गई है। अभियान का अनुश्रवण तथा निगरानी राज्य, संभाग और जिले स्तर पर निरन्तर की जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा प्राथमिकता से स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा की जाती है। समय-समय पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव द्वारा अभियान की समीक्षा बैठक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की जाती है। मुख्य सचिव द्वारा प्रत्येक माह अभियान की समीक्षा "परख" के माध्यम से जिले के कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से की जाती है। अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास द्वारा जिलों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा अभियान की मासिक समीक्षा की जा रही है। वर्तमान में राज्य कार्यालय द्वारा शौचालय कवरेज का दैनिक निगरानी सिस्टम भी बनाया गया है।

**खुले में शौचमुक्त ग्रामों का सत्यापन तथा स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन-** राज्य द्वारा भारत सरकार की मार्गदर्शिका का अनुसरण करते हुए ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त ग्राम के सत्यापन के दिशा-निर्देश दिये गये हैं। सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज तथा प्रपत्र प्रारूप जिले, ब्लॉक, ग्राम पंचायत में दिये गये हैं।

**रणनीति भागीदार-** राज्य की यूनिसेफ एवं एम.पी. टास्क के साथ रणनीति भागीदारी है जिससे तकनीकी सहयोग प्राप्त हो रहाहै।

**आगामी योजना-** इन सभी प्रयासों के चलते यह बात भी तय है कि शौचालय की गणना से खुले में शौचमुक्त के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिये समुदाय तक पहुंचना होगा और जन आंदोलन में परिवर्तित करना होगा। वर्ष 2012 से अब तक शौचालय कवरेज 25.74 लाख से बढ़कर 65.53 लाख हुआ है। खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या 7000 हुई है। इस वर्ष 20 जिलों एवं 18250 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जाने का लक्ष्य है। इसी प्रकार शौचालय कवरेज 65.53 लाख से 88.53 लाख बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

● **साबिर इकबाल**
सलाहकार, राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

## नर्मदा किनारे स्थित ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रगति

- **नर्मदा किनारे स्थित 16 जिलों की 539 ग्राम पंचायतों में कुल ओडीएफ ग्रामों की संख्या 649 है। शौचालय विहीन घरों की संख्या 42515 है जिनमें अक्टूबर 2017 तक शौचालय निर्माण का लक्ष्य है।**
- **नर्मदा किनारे स्थित ग्राम पंचायतों में से 27 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन के कार्य स्वीकृत किये गये।**
- **नर्मदा किनारे स्थित 16 जिलों की 539 ग्राम पंचायतों में से 286 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है।**

# शौचालय निर्माण के विजेता मिस्त्रियों को मिला दिल्ली भम्रण का पुरस्कार

जिला बड़वानी में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत मिस्त्री प्रशिक्षण के लिये "मिस्त्री नंबर-1" प्रतियोगिता का आयोजन कर 60 कुशल मिस्त्रियों के माध्यम से 120 हेल्परों को शौचालय निर्माण करते हुए मिस्त्री का प्रशिक्षण दिया गया ।

ठीकरी विकासखण्ड के ग्राम छोटा बड़दा, आवली एवं मोहीपुरा में 10 जनवरी से 20 जनवरी 2017 के मध्य प्रतियोगिता के दौरान 270 शौचालयों का निर्माण हुआ । इस प्रकार शौचालय निर्माण करते हुए 120 हेल्परों का प्रशिक्षण भी सम्पन्न हुआ ।

प्रशिक्षण का शुभारंभ क्षेत्र के सांसद श्री सुभाष पटेल एवं कलेक्टर बड़वानी द्वारा 10 जनवरी 2017 को ग्राम छोटा बड्दा में किया गया था । प्रत्येक कुशल मिस्त्री के साथ दो-दो हेल्परों द्वारा शौचालय निर्माण किया गया तथा प्रत्येक दल द्वारा प्रतियोगिता अवधि में औसतन 4 से 5 शौचालयों का निर्माण किया गया। निर्मित शौचालयों का मूल्यांकन तथा गुणवत्ता परीक्षण कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा और उनके सहायक यंत्रियों के दल द्वारा किया गया। मिस्त्री दल के द्वारा निर्मित शौचालयों की गुणवत्ता, सुन्दरता एवं फिनिशिंग के आधार पर प्रत्येक टीम का मूल्यांकन किया गया।

शौचालय निर्माण कार्य के लिये प्रति शौचालय 1800/- रुपये का पारिश्रमिक भी मिस्त्रियों के दल को स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत दिया गया। विजेता मिस्त्रियों को 21 जनवरी 2017 को बड़वानी में आयोजित राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजाति सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्राफी, शील्ड एवं प्रमाण पत्र दिए।

कलेक्टर बड़वानी द्वारा इन मिस्त्रियों को प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कार स्वरूप दिल्ली में 26 जनवरी 2017 को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह को देखने का अवसर

भी उपलब्ध कराया गया।

इस दल द्वारा दिनांक 24 एवं 25 जनवरी 2017 को दिल्ली में दर्शनीय स्थलों का भ्रमण भी किया गया। इस प्रकार 270 शौचालयों का निर्माण होने से 3 ग्राम खुले में शौचमुक्त भी हो गए। प्रतियोगिताकेमाध्यमसेग्रामीण मिस्त्रियों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित होने का, गणतंत्र दिवस समारोह और दिल्ली दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही 120 हेल्परों का मिस्त्री के रूप में प्रशिक्षण भी हुआ।

● **गजेन्द्र**
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

# शौचालय निर्माण की राशि सीधे हितग्राही के खाते में

मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्रियान्वयन की दिशा में कई नवाचार किए गए। इन नवाचारों से हितग्राही लाभान्वित होने के साथ ही प्रदेश रोल मॉडल भी बना।

प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव के मार्गदर्शन में होने वाले विभिन्न कार्यों में से एक है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से डीबीटी के द्वारा किया जाना। इस पद्धति से पारदर्शी त्वरित भुगतान के साथ सुशासन को बल मिला है।

प्रदेश में जुलाई 2016 से यह व्यवस्था लागू की गई है। तभी से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बनने वाले व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण की राशि का वितरण डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के रूप में फंड ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से सीधे हितग्राही के व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। फंड ट्रांसफर सिस्टम प्रणाली पारदर्शी और त्वरित प्रणाली है।

इस प्रणाली के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण स्वच्छ पोर्टल www.swachh.mp.gov.in के द्वारा किया जा रहा है। स्वच्छ पोर्टल का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन 'ग्रामीण' की टीम के देखरेख में NIC भोपाल द्वारा किया गया है।

वितरण की इस प्रणाली को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा सराहा गया है। केन्द्र सरकार द्वारा देश के अन्य प्रदेशों को भी इस प्रकार की प्रणाली का उपयोग करने का आग्रह किया गया है। प्रस्तुत है शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि का डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के द्वारा किये जा रहे उपयोग व प्रणाली का विवरण।

**स्वच्छ एम.पी. पोर्टल के तहत तीन चरण हैं -**

स्वच्छ एमपी पोर्टल के प्रथम चरण में हितग्राही की पात्रता का विवरण है। इस भाग से हितग्राही शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि के लिए पात्रता जान सकता है। शौचालय निर्माण के बाद प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकता है।

स्वच्छ एमपी पोर्टल के पब्लिक सेक्शन चार भागों में विभाजित हैं-

**1. शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि की पात्रता-** इस ऑप्शन का उपयोग कर हितग्राही अपनी समग्र आईडी के माध्यम से यह बात ज्ञात कर सकता है कि वह शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि प्राप्त

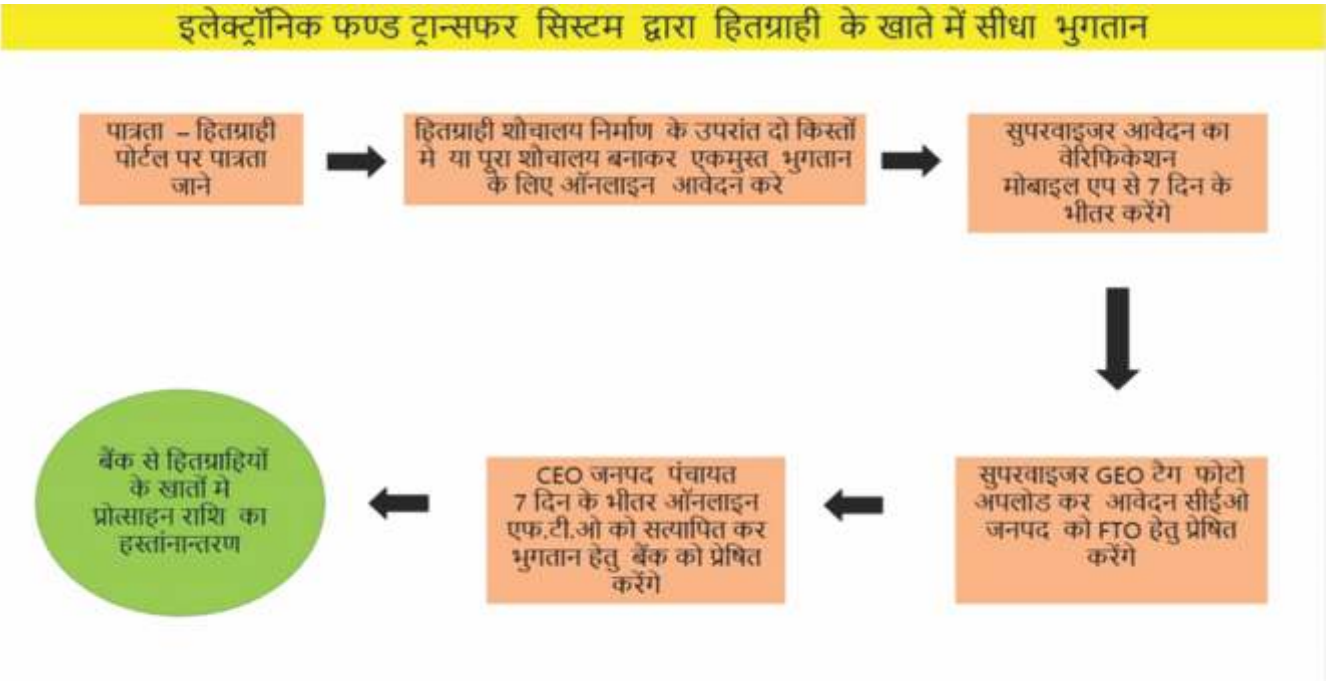


किये जाने के लिए पात्र है अथवा नहीं है।

**2. शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि प्राप्त किये जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन-** यदि हितग्राही शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र है तो इस ऑप्शन का उपयोग कर हितग्राही शौचालय निर्माण पश्चात प्रोत्साहन राशि प्राप्त किये जाने के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकता है।

**हितग्राही कितने प्रकार से प्राप्त कर सकता है प्रोत्साहन राशि**

**1. दो किश्तों में-** यदि हितग्राही शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि को दो किश्तों में 6-6 हजार रुपये की प्रत्येक किश्त प्राप्त करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे अपने शौचालय की आंतरिक संरचना बनाकर अर्थात् दो लीचपिट वाले शौचालय के लिए जुड़वा गड्ढे तैयार कर प्रथम किश्त के लिए आवेदन करना होता है। हितग्राही अपनी समग्र आईडी अथवा भारत शासन की आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकता है। प्रथम किश्त के लिए प्राप्त आवेदन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् प्रथम किश्त की राशि प्राप्त होने पर 7 दिवस में हितग्राही को पूर्ण शौचालय आंतरिक संरचना एवं बाहरी संरचना तैयार करना होता है। ताकि दूसरी किश्त की राशि के लिए पूर्ण शौचालय का भौतिक सत्यापन हो सके। दूसरी किश्त की राशि के लिए नियुक्त सुपरवाईजर को पहली किश्त का आवेदन स्वतः दूसरी किश्त के सत्यापन के लिए प्राप्त हो जाता है। सुपरवाईजर द्वारा शौचालय की पूर्णताः का सत्यापन करने के बाद दूसरी किश्त की राशि स्वतः हितग्राही के खाते में हस्तांतरित हो जाती है।

**2. पूर्ण किश्त के रूप में-** यदि हितग्राही आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम है तो वह अपना पूर्ण शौचालय, आंतरिक एवं बाहरी संरचना सहित बनाकर एक मुश्त राशि के लिए आवेदन कर सकता है। यदि हितग्राही द्वारा पूर्ण किश्त के लिए आवेदन किया है तो उसके खाते में एक बार में ही शौचालय निर्माण की पूर्ण प्रोत्साहन राशि रुपये 12000/- हस्तांतरित की जाती है।

स्वच्छ एमपी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदनदर्जकियेजानेपरहितग्राहीका व्यक्तिगत खाता समग्र पेंशन पोर्टल पर दर्ज खाते की जानकारी से प्राप्त किया जाता है। जिसे आवेदन के पश्चात सही किये जाने की सुविधा नहीं है। अतः हितग्राही आवेदन से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि ऑनलाईन आवेदन पर समग्र पोर्टल से लिया गया खाता स्वयं हितग्राही का है और सही है।

**3. आवेदन की स्थिति ज्ञात करना-** इस ऑप्शन के द्वारा हितग्राही आवेदन करने के पश्चात् अपने आवेदन की ऑनलाइन ट्रेकिंग कर सकता है अर्थात् समय-समय पर उसका आवेदन किस स्तर पर है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

**4. रिपोर्ट सेक्शन-** स्वच्छ एमपी पोर्टल पर आमजन के लिए और योजना की समीक्षा के लिए संलग्न शासकीय अमले को वास्तविक समय में योजना की प्रगति और अन्य जानकारी उपलब्ध कराये जाने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट सेक्शन को तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से आम जन तथा अन्य शासकीय अमला अपनी आवश्यकतानुसार जानकारी प्राप्त कर सकता है।

**द्वितीय चरण-** स्वच्छ एमपी पोर्टल का द्वितीय चरण शौचालय के भौतिक सत्यापन हेतु नियुक्त सुपरवाइजर के लिए तैयार किया गया है।

स्वच्छ एमपी पोर्टल पर प्रोत्साहन राशि वितरण का द्वितीय चरण शौचालय का भौतिक सत्यापन है, हितग्राही द्वारा निर्मित शौचालय के भौतिक सत्यापन के लिए एनआईसी-एमपी द्वारा एक मोबाइल एप स्वच्छ को विकसित किया गया है। हितग्राही द्वारा निर्मित शौचालय के भौतिक सत्यापन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक

सुपरवाइजर को नियुक्त किया गया है। सुपरवाइजर का शौचालय के भौतिक सत्यापन के लिए अपने मोबाइल पर स्वच्छ एप डाउनलोड करना होता है। स्वच्छ एप पर जनपद पंचायत द्वारा दी गई यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग कर सुपरवाइजर हितग्राही के शौचालय का भौतिक सत्यापन कर शौचालय का जियोटेग फोटोग्राफ तथा अन्य भौतिक जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को मोबाइल के माध्यम से ही प्रेषित करता है।

**तृतीय चरण-** स्वच्छ एमपी पोर्टल पर डीबीटी का अंतिम चरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हेतु तैयार किया गया है। हितग्राही को शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित किये जाने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को दी गयी है। सुपरवाइजर द्वारा सत्यापित किये गये शौचालय, अंतिम सत्यापन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के एकाउंट में प्रेषित किये जाते हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत प्राप्त आवेदनों के संलग्न फोटोग्राफ, एकाउंट नम्बर, आईएफएससी कोड, समग्र आईडी द्वारा चिन्हित हितग्राही की पात्रता इत्यादि का सत्यापन कर आवेदन को प्रोसेस करता है। आवेदनों को डिजिटल साइन कर राशि हस्तांतरण के लिए नोडल बैंक को प्रेषित करता है, तत्पश्चात् पोर्टल से प्राप्त डिजिटल फाईल को प्रोसेस कर नोडल बैंक हितग्राही को उसके व्यक्तिगत खाते में राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित करता है। डीबीटी के इस माध्यम से हितग्राही के खाते में राशि हस्तांतरण के लिए लगने वाला अधिकतम समय 15 दिन रखा गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई गई अन्य सुविधाओं के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सुपरवाइजर का पंजीयन कर सकता है। उसके लिये यूजर आईडी तथा पासवर्ड क्रिएट कर सकता है तथा गलत खातों के कारण वापस आये आवेदनों में हितग्राही से सही खाता प्राप्त कर सही खातों में राशि हस्तांतरण कर सकता है।

**एफटीओ प्रणाली के सुरक्षित उपयोग के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को दिये गये सुझाव-**

1. गुणवत्तापूर्ण चेम्बर सहित 02 लीच-पिट शौचालय का एफटीओ किया जावें।

2. पूर्ण शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि की मांग प्राप्त होने पर यह सत्यापनकर्ता तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सुनिश्चित करें कि क्रमांक-1 में दिए निर्देश का पूरी तरह से पालन हो रहा है या नहीं।

3. प्रथम किश्त की मांग होने पर न केवल क्रमांक-1 का पालन कराया जाये अपितु जीओटेग फोटो में यह स्पष्ट दिखने के बाद ही एफटीओ किया जाना चाहिए।

4. किसी भी स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अस्वीकार्य तकनीकी से निर्मित तथा अस्पष्ट या गलत फोटो वाले प्रकरणों में एफटीओ जारी नहीं करना चाहिये। एफटीओ के लिए प्राप्त प्रकरण का स्थल परीक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा किया जाना चाहिये।

5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को एफटीओ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कराये कि अवांछित परिवार त्रुटिपूर्ण बेसलाइन सर्वे का दुरुपयोग कर फर्जी लाभ न ले सकें।

6. किसी भी तरह के फर्जी लाभ लेने तथा दिलाए जाने की घटनाओं पर तत्काल नियमानुसार प्रशासकीय तथा दण्डात्मक कार्यवाही की जाये तथा अनुश्रवण की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये जिससे ऐसी घटनाएं घटित न हों।

7. शौचालयों का भौतिक सत्यापन कराया जाए तथा अस्वच्छ व असुरक्षित शौचालय का निर्माण पाए जाने पर जिस भी निकाय द्वारा इसे निर्मित कराया गया है। उससे अविलम्ब ठीक कराया जाकर उसका रिकार्ड संधारित किया जाए।

8. सुपरवाइजर द्वारा सत्यापन के लिए प्रेषित किए गए जियोटेग फोटोग्राफ्स में यह सुनिश्चित किया जाये कि फोटोग्राफ्स में शौचालय के सम्पूर्ण घटक प्रदर्शित हो रहे हैं अथवा नहीं, सम्पूर्ण घटक प्रदर्शित होने पर ही उनका एफटीओ किया जाये।

● **प्रस्तुति - रीमा राय**
(लेखिका स्तंभकार हैं)

## स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मध्यप्रदेश

# समस्या और समाधान

**भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन संचालित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की है। स्वच्छ भारत मिशन 'ग्रामीण' का लक्ष्य महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की स्थिति प्राप्त करना है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, साफ-सफाई तथा खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करने की गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई भ्रांतियां और प्रश्न खड़े होते हैं। इन सभी संभावित प्रश्नों के समाधान परख उत्तर प्रकाशित किये जा रहे हैं।**

**प्रश्न : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में क्या-क्या कार्य होते हैं?**

**उत्तर** : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं -

- गाँवों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य।
- सामुदायिक स्वच्छता परिसार का निर्माण कार्य।
- गंदे पानी के प्रबंधन संबंधी निर्माण कार्य।
- ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरुक और शिक्षित करने के लिए कार्य।

**प्रश्न : व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण में किस वर्ग को सहायता राशि प्राप्त होती है?**

**उत्तर :** व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि निम्नलिखित परिवारों को दी जाती है-

- गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी परिवार।
- गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) जीवन बसर करने वाले अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों, लघु एवं सीमांत किसानों, वासभूमि वाले भूमिहीन श्रमिकों, निश्क्तजनों और महिला मुखिया वाले सभी परिवार।
- किंतु उनको नहीं जिन्होंने शौचालय निर्माण के लिए पूर्व में सहायता प्राप्त की है।

**प्रश्न : स्वच्छ भारत मिशन से मुझे क्या लाभ प्राप्त हो सकता है?**

**उत्तर** : पात्र परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय बनवाने और उसका उपयोग करने पर प्रोत्साहन राशि रु. 12000/- मिलेगी। गाँव स्तर पर गाँव के कूड़े-कचरे एवं गंदगी के निपटान की भी सुविधा होगी और यदि आपके गाँव में हाट बाजार जहाँ गाँव के बाहर से लोगों का आना-जाना होता है तो उनके द्वारा गंदगी ना की जाए, इसके लिए भी सार्वजनिक शौचालय बनाया जा सकता है।

**प्रश्न : जो परिवार प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते उनका शौचालय निर्माण कैसे होगा?**

**उत्तर :** जिन परिवार को प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होती है, ऐसे परिवारों को स्वयं पारिवारिक शौचालय बनाने का कार्य करना होता है। उन्हें इसके लिए प्रेरित, शिक्षित और प्रोत्साहित किया जाता है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशों में ऐसे ए.पी.एल. परिवार जिन्हें वर्तमान में शौचालय निर्माण में धन खर्च करने में समस्या है उन परिवारों की परिक्रामी (Revoling fund) निधि से सहायता की जा सकती है अथवा नाबार्ड बैंक और वित्तीय संस्थाओं से किफायती वित्त पोषण के माध्यम से सहायता की जा सकती है। जिन्हें 12 से 18 माह की किश्तों में लौटाना होता है।

**प्रश्न : क्या मैं खुद अपना शौचालय बना सकता हूँ?**

**उत्तर :** हाँ, आप स्वयं अपनी जरूरत और सुविधा अनुसार बेहतर शौचालय बना सकते हैं।

**प्रश्न : क्या मुझे शौचालय बनाने से पहले,ग्रामपंचायतसेअनुमतिलेनी जरूरी है?**

**उत्तर :** शौचालय बनाने से पहले ग्राम पंचायत को सूचित किया जाना होगा, जिससे ग्राम पंचायत के रिकार्ड देखकर पता चलेगा कि आपका परिवार शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि पाने के लिए पात्रता रखता है या नहीं।

**प्रश्न : मैं स्वयं अपना शौचालय नहीं बना सकता तो क्या शौचालय बनाने में ग्राम पंचायत मेरी मदद करेगी?**

**उत्तर :** पात्रतानुसार जब कोई परिवार अपना स्वयं शौचालय बनाने में असमर्थ हो तो ग्राम पंचायत उसके घर में शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार शौचालय निर्माण कराती है। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन ने उन जिलों में जहाँ जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (डी.पी.आई.पी.) / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) के महिला स्वयं सहायता समूह / ग्राम संगठन कार्य कर रहे हैं, ऐसे समूहों / संगठनों को भी शौचालय

निर्माण करने की अनुमति दी है।

**प्रश्न : व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि शासन द्वारा कब प्राप्त होगी? क्या शासन ये राशि अग्रिम (एडवांस) दे सकता है?**

**उत्तर :** जब शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण हो जाये, शौचालय के साथ शौचालय की साफ-सफाई के लिए पानी भरने की टंकी और हाथों को साफ करने के लिए हाथ धुलाई की व्यवस्था (वॉश बेसिन) लगी हो और अपके परिवार के सभी सदस्य इसका उपयोग करने लगें, तब आप इसकी सूचना ग्राम पंचायत में सचिव या ग्राम रोज़गार सहायक को देंगे। इनके द्वारा आपके शौचालय का सत्यापन होगा और शौचालय के साथ आपकी फोटो खींचकर तथा आपके बैंक का खाता नम्बर और संबंधित अन्य जानकारी तथा आपके परिवार का समग्र आई.डी. नम्बर निर्धारित फार्म में भरकर जनपद पंचायत में प्रस्तुत करेंगे। जनपद स्तर से सत्यापन होगा और जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुशंसा के साथ भुगतान के लिए जिला पंचायत भेजा जायेगा। जिला पंचायत में आर.टी.जी.एस./ एफ.टी.ओ. प्रणाली से प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे आपके खाते में आ जायेगा। स्वयं हितग्राही द्वारा शौचालय निर्माण करने की स्थिति में प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में भी दी जा सकती है - प्रथम किश्त रुपये 6000 लीच पीट एवं प्लेटफार्म का कार्य पूर्ण करने पर एवं दूसरी किश्त रुपये 6000 शौचालय निर्माण पूर्ण करने तथा पानी की टंकी व बेसिन निर्माण के पश्चात्।

**प्रश्न : स्वच्छ भारत मिशन से व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि कितने दिनों में प्राप्त हो सकेगी?**

**उत्तर :** उपरोक्त उत्तर में बताई गई व्यवस्था को पूर्ण होने में एक सप्ताह का समय लगता है, अतः एक सप्ताह से अधिकतम दो सप्ताह के अन्दर ये राशि हितग्राही के बैंक खाते में जमा हो जानी चाहिए।

**प्रश्न : शौचालय निर्माण की राशि अलग-अलग समय में अलग क्यों दी जा रही है। पहले 4600 अब 12000?**

**उत्तर :** 2 अक्टूबर, 2014 से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय बनाने पर प्रोत्साहन राशि रु. 12000/- कर दी गई है। इस राशि में रुपये 2000 पानी की टंकी एवं हाथ धोने की व्यवस्था करने के लिए बढ़ाई गई है।

**प्रश्न : मेरा शौचालय टूट गया है, इसकी मरम्मत के लिए मुझे पंचायत या शासन से क्या लाभ मिलेगा?**

**उत्तर :** टूटा हुआ शौचालय यदि योजना के द्वारा निर्मित हुआ था तो इस स्थिति में इसकी मरम्मत के लिए शासन से आर्थिक मदद नहीं मिल पायेगी परन्तु स्वच्छ भारत के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी आपको इसकी तकनीकी जानकारी उपलब्ध करायेंगे। जिससे कम खर्च में आप इसको पुनः उपयोग के लायक बना सकें।

**प्रश्न : क्या मैं सेप्टिक टैंक वाला शौचालय बना सकता हूँ एवं ऐसा शौचालय बनाने पर शासन से लाभ मिल सकता है?**

**उत्तर :** स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य खुले में शौच की आदत खत्म करते हुए साफ-सुथरा और सुन्दर ग्राम बनाना है। खुले में शौच की प्रथम सुरक्षित शौचालय निर्माण और उसके उपयोग करने से ही खत्म होगी। यदि आप सेप्टिक टैंक वाला शौचालय बनाते हैं तो यह सही तकनीक का बनना चाहिए साथ ही साथ इससे निकलने वाला गंदा पानी नालियों में या खुले में सड़क आदि पर नहीं फैलना चाहिए। इसके गंदे पानी की निकासी भी सोख्ते गड्डे में जाना अनिवार्य है। तभी सेप्टिक टैंक वाला शौचालय सुरक्षित शौचालय माना जायेगा और इसके निर्माण पर प्रोत्साहन राशि रु. 12000/- दी जा सकेगी अन्यथा नहीं।

**प्रश्न : सरपंच कहता है कि तुम्हें शौचालय बनाने के लिए शासन की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी, ऐसा क्यूँ?**

**उत्तर :** सरपंच दो कारणों से ही किसी को शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि देने से मना कर सकता है - पहला कारण - यदि आपका परिवार पात्र हितग्राही की श्रेणी में नहीं आता हो। दूसरा कारण - यदि आपके परिवार को पहले किसी योजना से शौचालय निर्माण के लिए राशि दी गई हो। इसके अतिरिक्त यदि आपको प्रोत्साहन राशि देने से मना किया जाता है तो आप जनपद पंचायत में इसकी शिकायत कर सकते हैं।

**प्रश्न : गाँव में कूड़े-कचरे का ढेर है, क्या स्वच्छ भारत मिशन से इसकी सफाई की व्यवस्था है?**

**उत्तर :** हाँ, स्वच्छ भारत मिशन में ग्राम के कूड़े-कचरे और गंदे पानी के निपटान के लिए व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है। कूड़े-कचरे एवं गंदे पानी के प्रबंधन के लिये राशि का प्रावधान ग्राम में परिवारों की संख्या के आधार पर किया गया है।

- 150 तक परिवार संख्या वाले ग्राम पंचायतों के लिए - राशि रु. 7 लाख तक प्रावधान है।
- 151 से 300 तक परिवार संख्या वाली ग्राम पंचायतों के लिए - राशि रु. 12 लाख तक का प्रावधान है।
- 301 से 500 तक परिवार संख्या वाले ग्राम पंचायतों के लिए - राशि रु. 15 लाख तक का प्रावधान है।
- 500 से अधिक परिवार संख्या वसले ग्राम पंचायतों के लिए - राशि रु. 20 लाख तक का प्रावधान है।

**प्रश्न : सदियों से हमारे गाँव में किसी भी घर में शौचालय नहीं है और हमारे घर में भी कोई बीमार नहीं है तो हमें फिर शौचालय क्यों बनाना चाहिए?**

**उत्तर :** स्वच्छता का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। 80 प्रतिशत बीमारियों का कारण अस्वच्छता एवं खुले में शौच ही है। एक ग्राम मानव मल में एक करोड़ वायरस तथा 10 लाख बैक्टीरिया होते हैं। ये वायरस एवं बैक्टीरिया, मक्खी, धूल, गाड़ी के पहियों, पशुओं के खुरों आदि के साथ वापस आते हैं, जिससे भोजन और जल दूषित होता हैं। दूषित

खान-पान से यह मल मनुष्यों में प्रवेश कर जाता है और बीमारी का कारण बनता है। इसके अलावा शौचालय के अभाव में विशेषकर महिलाओं को सबसे अधिक कठिनाई होती है जिन्हें अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है। सांप, बिच्छू काटने तथा उनके सम्मान का खतरा भी बना रहता है। बच्चों के शौच के बारे में भी कुछ भ्रान्तियाँ हैं कि यह हानिकारक नहीं होता है परन्तु ऐसी बात नहीं है यह भी उतना ही हानिकारक होता है पोलियो रोग भी शौच के माध्यम से फैलता है।

**प्रश्न : मैं अपना शौचालय बढ़िया और बड़ा बनाना चाहता हूँ क्या शासन मुझे प्रोत्साहन राशि देगा?**

**उत्तर :** शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि रु. 12000/- का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अधिक राशि खर्च कर आप स्वयं और अधिक सुविधायुक्त तथा बेहतर शौचालय बना सकते हैं।

**प्रश्न : मेरे पास इन्दिरा आवास है लेकिन उसमें शौचालय नहीं बना है क्या मुझे शौचालय की प्रोत्साहन राशि मिल सकती है?**

**उत्तर :** इन्दिरा आवास योजना में घर के साथ शौचालय निर्माण अनिवार्य है। यदि इन्दिरा आवास में शौचालय पूर्व में नहीं बना हुआ है तो स्वच्छ भारत मिशन की राशि से शौचालय बनाया जा सकता है।

## व्यवहार और आदतों से जुड़े प्रश्न

**प्रश्न : खुले में शौच जाने के क्या नुकसान है?**

**उत्तर :** हमें ऐसा लगता है कि खुले में शौच करने से बीमारी नहीं होती परन्तु जो गंदगी हम खुले में छोड़कर आते हैं वो वापस हम तक लौटती ही है और बीमारी का कारण बनती है। गंदगी धीरे-धीरे घर की तरक्की को रोक देती है। ध्यान से विचार करने पर पता चलेगा कि खुले में शौच की कुप्रथा रोग का, गरीबी का, दुख का और अपमान का कारण है।

**प्रश्न : क्या गाँव में मेरे अकेले शौचालय बनाने और उपयोग करने से मैं बीमारी के खतरे से बच सकता हूँ?**

**उत्तर :** यदि गाँव के सभी परिवार खुले में शौच की कुप्रथा छोड़ दें परन्तु एक व्यक्ति के द्वारा खुले में शौच जाना जारी रहा, इस स्थिति में भी आप बीमारियों की मार से पूर्णतः सुरक्षित नहीं हो सकते क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा फैलाई गंदगी, मक्खी और दूसरे अन्य माध्यम से आप सभी के पास पहुंच ही जाती है, जो बीमारी का कारण बनता है। अतः गाँव के सभी लोग तभी बीमारियों से सुरक्षित होंगे और उन्नति करेंगे जब गाँव का समुदाय खुले में शौच की कुप्रथा को छोड़ेगा और साफ-सुथरा होगा। स्वच्छता सामुदायिक समस्या है और सभी के सामुहिक प्रयास से ही इसका हल निकलता है। आप अकेले के शौचालय का उपयोग करने से आपको घर में सुविधा, आपकी बहन-बेटियों की सुरक्षा, आपको आत्म-सम्मान तो मिलेगा परन्तु रोग का खतरा हमेशा बना रहेगा।

**प्रश्न : मेरे घर के शौचालय में घर की औरतें जाती हैं, मैं और घर के अन्य मर्द भी उसी शौचालय का उपयोग कैसे कर सकते हैं?**

**उत्तर :** बाहर छोड़ी गई टट्टी को देखकर दुनिया का कोई भी जानकार ये नहीं बता सकता कि वो टट्टी किसी मर्द की है या औरत की है, बूड़े की है या बच्चे की है या बीमार की है या स्वस्थ आदमी की है, वो केवल टट्टी होती है जिससे सभी को घृणा होती और जो केवल गंदगी है और कुछ नहीं। गंदगी का नाश करना ही सब के खुशहाल जीवन के लिए जरूरी है। तो परिवार के सभी सदस्यों, मर्द और औरतों और बच्चों के द्वारा एक शौचालय का उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है। केवल एक शर्त है कि शौचालय साफ-सुथरा हो उसकी नियमित सफाई हो तो वो सभी के लिए सुरक्षित और आरामदायक होता है।

**प्रश्न : हमारे यहाँ कहा जाता है कि घर में साफ-सफाई होने से लक्ष्मी आती है, फिर घर में शौचालय बनाकर गंदगी क्यूं करें?**

**उत्तर :** ठीक बात है, घर में साफ-सफाई होने से लक्ष्मी आती है, इसलिए घर में साफ-सुथरा शौचालय बनवाना ही चाहिए क्योंकि शौचालय, गंदगी को खत्म करने का साधन है और स्वच्छ घर की पहचान है। यदि घर में शौचालय नहीं होगा तो आपके शरीर की तमाम गंदगी घर के आस-पास ही फैलेगी और वापस आप तक लौटेगी, साथ में सारे गांव को गंदा करेगी।

**प्रश्न : मेरा बच्चा छोटा है, वो शौचालय में नहीं बैठ सकता, मैं क्या करूँ?**

**उत्तर :** शिशु के मल में भी बहुत कीटाणु होते हैं। इसके मल को भी शौचालय में ही निपटाना चाहिये।

**प्रश्न : मेरे घर के बुजुर्ग शौचालय का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ?**

**उत्तर :** बुजुर्गों की सुविधा को ध्यान में रखकर शौचालय निर्माण करवाने से उन्हें अपनी आदत को बदलने में आसानी होगी।

**प्रश्न : खुले में शौच जाने से सुबह-सुबह चलना-फिरना हो जाता है, मैं शौचालय में क्यूँ जाऊँ?**

**उत्तर :** सुबह का घूमना सेहत के लिए अच्छा होता है। सुबह घर के शौचालय में शौच करके नित्यक्रिया से निवृत्त होकर ताजी और शुद्ध हवा में घूमने से सेहत अच्छी रहेगी, गंदगी के स्थान पर घूमने से स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा।

**प्रश्न : खुले में शौच के लिए हम बहुत सी औरतें साथ में गप-शप करती जाती हैं, शौचालय होने से ये गप-शप बंद हो जायेगी। तो शौचालय का उपयोग क्यूँ करें?**

**उत्तर :** जैसे वातावरण में रहते हैं आपके मन में वैसे ही विचार आते हैं। गंदगी के बीच अच्छे और प्रेरक विचार नहीं आते। शौचालय का उपयोग करने से समय की बचत होगी और घर के काम-काज से फुर्सत होकर सब औरतें रचनात्मक गप-शप करें।

## शौचालय तकनीक से जुड़े प्रश्न

**प्रश्न:शौचालयमेंपानीबहुत लगता है, बाहर जाने में कम लगता है तो हम शौचालय का उपयोग क्यूं करें ?**

**उत्तर :** ये धारणा गलत है, सोख्ता गड्डे वाले एवं ज्यादा ढलान के पैन वाले शौचालय में बहुत कम पानी में शौच क्रिया सम्भव होती है। मध्यप्रदेश के प्रत्येक ग्राम में हैण्डपंप के द्वारा तो पानी की उपलब्धता है। व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण की डिजाईन में टंकी का भी प्रावधान किया गया है। जिसमें पानी भरकर रखा जा सकता है।

**प्रश्न : मेरे घर में हैंडपंप और कुआँ है, क्या शौचालय बना सकता हूँ ?**

**उत्तर :** हाँ जरूर बना सकते हैं कुछ सावधानी रखते हुए। शौचालय के गड्ढे की दूरी पेयजल स्त्रोतों जैसे हैंडपंप, कुआँ बावड़ी इत्यादि से न्यूनतम 10-15 मीटर होना चाहिये। यदि पेयजल स्त्रोत, गड्ढे (पिट) की तुलना में ऊँचाई पर (अपस्ट्रीम में) है तो न्यूनतम दूरी 10 मी. होना चाहिये एवं यदि पेयजल स्त्रोत की तुलना में गड्ढा ऊँचाई पर (स्त्रोत डाउन स्ट्रीम में) है, तो दूरी नयूनतम 15 मी. होना चाहिये, जिससे पेयजल स्त्रोत प्रदूषित न हो।

**प्रश्न : मेरे घर में जगह की कमी है, क्या मैं गड्ढे के ऊपर शौचालय का कमरा बना सकता हूँ ?**

**उत्तर :** गड्ढे के ऊपर शौचालय का कमरा बनाने के बाद में परेशानी होती है जब गड्ढा भर जाता है। उस समय पूरे कमरे को तोड़ना पड़ता है। इसलिए इस तरह के शौचालय नहीं बनाना चाहिये।

**प्रश्न : गाँव में पानी की बहुत कमी है शौचालय के लिए पानी कहाँ से लाएँ ?**

**उत्तर :** लीच-पिट शौचालय के उपयोग में कम पानी लगता है। इसलिए शौचालय निर्माण के समय ग्रामीण पेन/शीट का इस्तेमाल करना चाहिए। यह देखने में भले ही सामान्य शीट की तरह अच्छा नहीं लगता परन्तु इसमें ज्यादा ढलान होने से पानी की आवश्यकता कम रहती है।

**प्रश्न : शौचालय में बदबू आती है, इसलिए हम घर से दूर बनवाना चाहते हैं ?**

**उत्तर :** सोख्ता पिट/लीच पिट वाले शौचालय से बदबू नहीं आती क्योंकि मानव मल में अधिकांश भाग पानी और गैस होता है जिसको जमीन सोख लेती है।

**प्रश्न : किस प्रकार का शौचालय मेरे घर के लिए ठीक रहेगा ?**

**उत्तर :** दो गड्ढे लीच-पिट शौचालय पर्यावरण मित्रवत शौचालय है वो वैज्ञानिक सोच के साथ बनाया गया है। अतः यही शौचालय अच्छा है।

**प्रश्न : सोख्ते गड्ढे की गहराई 1 मीटर ही क्यूँ रखी जाती है ?**

**उत्तर :** दो प्रमुख कारणों से सोखते गड्ढे की गहराई 1 मीटर ही रखी जाती है - 1. जमीन के नीचे के पानी के दूषित/खराब होने का खतरा नहीं रहता है। 2. जैविक खाद/सोना खाद बनने की प्रक्रिया ठीक चलती है क्योंकि इतनी गहराई तक सूरज की गर्मी बराबर जाती है जिससे मानव मल से खाद जल्दी और अच्छी बनती है।

**प्रश्न : सोख्ता गड्ढा कितने समय में भर जाता है ?**

**उत्तर :** एक गड्ढा जो 1 मीटर व्यास तथा 1 मीटर गहरा हो, अगर एक परिवार के 6-8 सदस्यों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता हो, तो कम से कम गड्ढे को भरने में 4-5 साल लगेंगे। एक बार गड्ढा भर जाये तो इसे बन्द कर देना चाहिए। तथा दूसरे गड्ढे का इस्तेमाल करना चालू कर देना चाहिये। 15 से 18 माह के बाद मल बढ़िया जैविक उर्वरक (खाद) बन जाएगा। इस खाद में न तो कोई गन्ध होती है तथा न ही कोई हानिकारक जीवाणु होते हैं। इसका उपयोग खेत एवं बागानों में किया जा सकता है या बेचा भी जा सकता है।

**प्रश्न : जब लीच-पिट भर जाए तब क्या करना चाहिए ?**

**उत्तर :** एक बार शौचालय का गड्ढा भर जाये तो इसे बन्द कर देना चाहिए। तथा जंक्शन चेम्बर से दूसरा गड्ढा इस्तेमाल करना चालू कर देना चाहिये।

**प्रश्न :** एक गड्ढे में कितनी ईंट और कितने रद्दे लगते है ?

**उत्तर :** एक गड्ढा बनाने में लगभग 190 ईंट लगती हैं एवं खड़ी ईंट के एक रद्दे के अतिरिक्त 11 रद्दों की चिनाई की जाती है। गड्ढे में केवल चार रद्दे जालीदार चिने जाते हैं।

**प्रश्न : गड्ढे में जालीदार चिनाई क्यूँ की जाती है, इससे गड्ढा कमजोर नहीं हो जायेगा ?**

**उत्तर:** गड्ढे में जालीदार चिनाई करना आवश्यक है क्योंकि -

- लीच-पिट के अन्दर जैविक खाद बनने की प्रक्रिया निरन्तर होती रहती है।
- जालीदार चिनाई से मल को खाद में बदलने वाले जीवाणु जिन्दा रहते हैं।
- मल में रहने वाला पानी और गैस इन्हीं छिद्रों से बाहर निकलता है जिसे जमीन सोख लेती है।

**प्रश्न : जालीदार चिनाई के छिद्रों में कितना गैप (दूरी) होना चाहिए ?**

**उत्तर :** जालीदार चिनाई के छिद्रों का गैप भूमि के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है। सामान्य दशा में दोमट मिट्टी में छिद्रों का आकार 1.5 से 2.0 इंच का होना चाहिए। काली मिट्टी में छिद्रों का आकार बड़ा एवं बलुआ मिट्टी में छिद्रों का आकार सामान्य दशा से कम रखना चाहिए। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि छिद्रों में कहीं जुड़ाई का माल, सीमेंट तो नहीं जम रही है।

**प्रश्न : शौचालय में काला गैस पाईप ही क्यूँ लगाया जाता है ?**

**उत्तर :** काला गैस पाईप केवल सेप्टिक टैंक वाले शौचालय में ही लगाये जाते हैं। 2 गड्ढों वाले लीच-पिट शौचालय में गैस पाईप नहीं लगता है। गैस पाईप के मुहाने पर मच्छरदानी का कपड़ा अवश्य बांधना चाहिये जिसे मच्छर टैंक में जाकर न पनपें।

**प्रश्न : मुर्गे का पानी खत्म क्यूँ नहीं**

**होता है ?**

**उत्तर** : मुर्गे में जो पानी बना रहता है वो जरूरी होता है। ये जलबंध है जिसे अंग्रेजी में Water seal कहते हैं। इसी जलबंद्ध के कारण शौचालय से बदबू नहीं आती है और मक्खी-मच्छर भी शौचालय के गड्ढे में नहीं जा पाते हैं और गड्ढे के किटाणु बाहर नहीं आ पाते हैं।

**प्रश्न : जंक्शन चेम्बर क्या है? इसकी क्या उपयोगिता है ?**

**उत्तर :** शौचालय की सीट को गड्डे से जुड़ने के लिए अंग्रेजी के "Y" आकार का छोटा सा चेम्बर होता है। जंक्शन चेम्बर का होना आवश्यक है क्योंकि शौचालय के जाम होने की दशा में जंक्शन चेम्बर को आसानी से खोलकर साफ किया जा सकता है। पिट को बदलते समय भी जंक्शन चैम्बर काम को आसान करता है।

**प्रश्न : जंक्शन चेम्बर से जुड़कर पिट तक जाने वाले पाईप का माप क्या होता है ?**

**उत्तर :** जंक्शन चेम्बर से जुड़कर पिट तक जाने वाले पाईप का माप 100 एम.एम. या 4 इंच का होता है।

**प्रश्न : पाइप को गड्ढे के कितने अन्दर तक ले जाना चाहिए ?**

**उत्तर** : पाइप को गड्ढे के अन्दर 4 से 6 इंच तक ले जाना चाहिए ताकि मल गड्ढे के बीच में ही गिरे और गड्ढा पूरी तरह से चारों ओर से बराबर भरे।

**प्रश्न : पाईप का ढाल कितना होना चाहिए ?**

**उत्तर :** पाईप का ढाल एक फुट पर दो इंच के अनुपात में होना चाहिए।

**प्रश्न : ईंट के अलावा मैं अपना शौचालय किन-किन सामग्री से बना सकता हूँ ?**

**उत्तर :** ईंट के अलावा उपलब्ध स्थानीय सामग्री से भी अच्छा और मजबूत शौचालय बन सकता है। कहीं-कहीं पत्थरों से, बांस से, सीमेन्ट कांक्रीट की रिंग से शौचालय बनाया जा सकता है।

**प्रश्न : क्या मैं अपने शौचालय में शहरी सीट लगा सकता हूँ ?**

**उत्तर :** ग्रामीण सीट का ढाल अधिक होता है तो शौच क्रिया में पानी कम लगता है और सोख्ते गड्ढे के लिए भी जरूरी है कि पानी कम जाये इसलिए ग्रामीण सीट लगाना श्रेयकर होता है परन्तु यदि ग्रामीण सीट उपलब्ध नहीं होती तो शहरी सीट भी लगा सकते हैं।

**प्रश्न : शासन के हिसाब से बनने वाले शौचालय के लिए राज मिस्त्री कहाँ मिलेंगे ?**

**उत्तर :** जिला और जनपद पंचायत से राज मिस्त्रियों का समय-समय पर प्रशिक्षण कराया जाता है। प्रशिक्षित राज मिस्त्रियों की सूची इन कार्यालयों में उपलब्ध रहती है। यह जानकारी ग्राम पंचायत से भी प्राप्त की जा सकती है।

**प्रश्न : मेरे शौचालय में मल एवं पानी गड्ढे में नहीं जा रहा है मैं क्या करूँ ?**

**उत्तर :** ऐसे स्थिति आने पर पहले जंक्शन चेम्बर को देखें, हो सकता है कि उसमें कोई कचरा अटक गया हो और जंक्शन चेम्बर साफ होने की दशा में आप समझ लें कि आपका शौचालय का गड्ढा भर गया है तो उसका जोड़ दूसरे गड्ढे से कर दें।

**प्रश्न : चूहे शौचालय के सोख्ता गड्ढे को तोड़ देते हैं क्या करें ?**

**उत्तर :** जिस क्षेत्र में चूहें हो वहाँ लिच-पिट बनाते समय एक बहुत आसान उपाय करना चाहिए - लीच-पिट की चिनाई हो जाने के बाद उसके चारों और बाहर की ओर से सूती कपड़ा लपेट देना चाहिए। फिर पिट और जमीन के बीच की खाली जगह में बालू भर देना चाहिए। ऐसा करने से चूहे जब पिट में घुसना चाहेंगे उस समय उनके मुँह पर बालू गिरेगी और वो वापस लौट जायेंगे। पिट के चारों ओर लगाया कपड़ा बालू को पिट के अन्दर गिरने नहीं देगा।

**प्रश्न : क्या शौचालय के लिए चौकोर गड्ढा बना सकतें है ?**

**उत्तर :** लीच-पिट के लिए गोल आकार ही उपयुक्त होता है क्योंकि गोल आकार पर पड़ने वाला दवाब चारों ओर फैल जाता है और ये आकार आसानी से दबाव को झेल लेता है।

**प्रश्न : मेरा घर चट्टान पर बना है, मैं गड्ढा नहीं खोद सकता हूँ तो क्या मैं शौचालय नहीं बना सकता ?**

**उत्तर :** शौचालय के बहुत विकल्प मौजूद हैं। पथरीली जमीन पर बायो शौचालय या ईकोसेन शौचालय बनाया जा सकता है।

**प्रश्न : मेरे शौचालय का गड्ढा बारिश के समय भर जाता है मैं क्या करूँ ?**

**उत्तर :** लीच-पीट शौचालय में बारिश का पानी नहीं जाये इसके लिए पिट को जमीन के स्तर से कम से कम 6 इंच ऊपर तक बनाना चाहिए।

**प्रश्न : क्या एक गड्ढे से दो या दो से अधिक शौचालय का कनेक्शन किया जा सकता है ?**

**उत्तर :** नहीं, ऐसा करने से शौचालय के गड्ढे में जोर पड़ेगा और वो जल्दी भर जायेगा।

**प्रश्न : लीच-पिट शौचालय में बनने वाली जैविक खाद में क्या-क्या गुण होते हैं ?**

**उत्तर :** मानव मल से बनने वाली खाद को सोना खाद कहा जाता है। ये बहुत गुणकारी खाद होती है। इस खाद में पोटेशियम, नाईट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है। आमतौर पर ये समझा जा सकता है कि 1 बोरी सोना खाद, 12 बोरी यूरिया खाद की ताकत रखती है।

**प्रश्न : ग्रामीण सीट कितने रुपयों में मिल जाती है ?**

**उत्तर :** ग्रामीण सीट 250 से 300 रुपये में मिल जाती है।

**प्रश्न : क्या शौचालय के कमरों को भी स्थानीय संसाधनों से बनाया जा सकता है ?**

**उत्तर :** हाँ, देश के विभिन्न ईलाकों में बांस से, लकड़ी से, पत्थर से, ईंट से बहुत सुन्दर और मज़बूत शौचालय बनते हैं।

# अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णय और निर्देश

**दिनांक 16 मार्च 2017**

**1. महात्मा गांधी नरेगा**

- इस वर्ष के लेबर बजट का अधिकाधिक उपयोग किया जावे।
- वर्ष 2017-18 में जिले के लेबर बजट का शत प्रतिशत उपयोग करने के लिए कार्ययोजना बनाकर 1 अप्रैल से पूर्ण गति से कार्य प्रारंभ किये जावें। कार्ययोजना में निम्न शामिल किए जावें:-

1. पूर्व में निर्देशित सामुदायिक एवं हितग्राही मूलक कार्य।
2. नर्मदा नदी के किनारे वाली पंचायतों में फलोद्यान/वृक्षारोपण/सामाजिक वानिकी कार्य।
3. वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र विकास के नए कार्य।
4. बुन्देलखण्ड में लघु सिंचाई परियोजनाओं के विकास के नए कार्य।

- कपिलधारा कूप की जानकारी अद्यतन की जाए। शत प्रतिशत कूपों का भौतिक सत्यापन किया जाए और राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि की जाए।
- पूर्व वर्षों के अपूर्ण कूपों को वर्षा ऋतु के पूर्व पूरा कराया जाए और इस वर्ष स्वीकृत कूपों में से कम से कम 50% कूपों को वर्षा ऋतु के पूर्व कूप पूर्ण कराने के लिए जिले अपने लक्ष्य तय करें।
- कपिलधारा योजानांतर्गत जिन प्रकरणों में हितैषी स्वयं एजेन्सी है। उनमें हितग्राही को सामग्री मद से प्रथम किश्त (अग्रिम राशि) जारी की जावे और कार्य तत्काल प्रारंभ कराए जावें।
- सभी ग्रामों के लिए मोक्षधाम एवं सभी ग्रामों में खेल मैदान के कार्य वर्षा ऋतु के पूर्व कराए जाने के लक्ष्य की पूर्ति की जावे।

**2. प्रधानमंत्री आवास योजना**

- हितग्राहियों को निर्माण सामग्री आसानी से एवं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे। रेत एवं गिट्टी रायल्टी फ्री उपलब्ध कराई जावे। जिले आवश्यकतानुसार खनन एवं परिवहन परमिट की व्यवस्था करें।
- प्लिंथ/छत स्तर तक निर्माण पूर्ण होने पर जिओटेग फोटो लेकर आवाससाफ्ट में अपलोड करें और अगली किश्त जारी करें। किश्त जारी करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है।
- प्रथम चरण में स्वीकृत सम्पूर्ण आवास (लगभग 3 लाख) का निर्माण वर्षा ऋतु के पूर्व पूर्ण कराया जावे।
- एस.एल.बी.सी. के संयोजक द्वारा जारी पत्र 857 दिनांक 15.03.2017 में दिये गये निर्देश अनुसार समस्त जिले कार्रवाई करें। बैंक से संबंधित समस्याओं के लिए (1) स्टेट बैंक आफ इंडिया श्री अजय मिश्रा, डिप्टी जनरल मैनेजर 9644465550 एवं श्री आर.एन. चतुर्वेदी 8601404555 (2) बैंक ऑफ इंडिया श्री बी.एस. राजपूत 9425090011( 3)श्रीए.के.खीची 9589212221, ओरिएण्टल बैंक (4) श्री प्रीतेश पाण्डे 7024101892 बैंक आफ बड़ौदा (5) श्री राघवेन्द्र शुक्ल 7389925534 यूनियन बैंक, (6) श्री संतोष कुमार शर्मा 9424482979, इलाहाबाद बैंक (7) श्री राहुल आनंद 07557-2550785 पंजाब नेशनल बैंक एवं (8) श्री ओ.पी. सिंह, 8226010523 सीएमपीजीबी से सम्पर्क करें।

**दिनांक 23 मार्च 2017**

**1. महात्मा गांधी नरेगा**

- सभी ग्रामों के लिए मोक्षधाम एवं प्रत्येक ग्राम में खेल मैदान सुनिश्चित कराने के लिए स्वीकृतियां जारी नहीं की गई हैं। जिन ग्रामों में स्वीकृतियां जारी करना सम्भव नहीं है उनमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी सत्यापन करें एवं कलेक्टर से प्रमाणीकरण कराएं।
- वर्षा ऋतु के पूर्व प्रत्येक ग्राम के लिए मोक्षधाम एवं प्रत्येक ग्राम के लिए खेल मैदान पूर्ण कराएं।
- मोक्षधाम के संबंध में पूर्व वी.सी. में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक ग्राम के लिए मोक्षधाम की व्यवस्था करना है। आवश्यकतानुसार दो या अधिक ग्रामों के लिए एक स्थान पर मोक्षधाम बनाया जा सकता है। नदी किनारे क्षेत्र में मोक्षधाम फ्लड जोन के बाहर ही बनाएं। नर्मदा/चंबल अन्य बडी नदियों के किनारे सामान्यतः अंतिम दाह संस्कार किये जाते हैं वहां विभिन्न ग्रामों के उपयोग के लिए आवश्यकतानुसार समूह में मोक्षधाम बनाए जा सकते हैं।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक समय में दो सुदूर सम्पर्क सड़क कार्य किये जा सकते हैं।
- जिन ग्रामों में कूप सफल हैं उनमें प्रति ग्राम 5 से 10 पात्र हितग्राहियों के नाम की सूची सामाजिक, आर्थिक जाति आधारित जनगणना (SECC) 2011 से तैयार कर राज्य स्तर से जारी की जावे। पात्रता परीक्षण कर स्वीकृति के लिए जिले कार्रवाई करें।

**2. पेयजल**

जो नल जल योजनाएं बंद हों, उन्हें यथाशीघ्र चालू कराया जावे। बंद नल जल योजना चालू करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री से प्राक्कलन तैयार कराए जाएं। जिन बंद योजनाओं में सुधार कार्य रुपये 2 लाख से कम में हो उन्हें शीघ्र चालू कराएं। पंचायतराज संचालनालय ने पीएचई को धनराशि उपलब्ध कराई है।

**3. प्रधानमंत्री आवास योजना**

- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार के अपात्रता संबंधी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- अपात्र हितग्राही को योजना का लाभ नहीं दिया जावे। यदि अपात्र को अनुदान दिया गया हो तो धनराशि वापस लेकर

शासकीय खजाने में जमा की जावे।

- माननीय मंत्री जी द्वारा विधानसभा में घोषणा की है कि अपात्र हितग्राही चयन की सूचना देने वाले व्यक्ति को रुपये 5000/- का इनाम दिया जावेगा। जिम्मेदार अपचारियों की सेवाएं समाप्त/पदच्युत की जावेंगी। वसूली की कार्रवाई की जावेगी। आवश्यक प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की जावेगी। यह व्यवस्था दिनांक 01.04.2017 से लागू होगी। अतः जिन प्रकरणों में अपात्र हितग्राही को लाभान्वित किया गया है अथवा अपात्रों का लाभ देने के लिए चयन किया गया है उनके चयन को निरस्त कर वसूली की कार्रवाई दिनांक 31 मार्च 2017 तक पूरी कर लें।

**दिनांक 30 मार्च 2017**

**1. ग्राम उदय से भारत उदय अभियान**

ग्राम उदय से भारत उदय अभियान-2017 के संबंध में जानकारी देते हुए सभी अधिकारियों को तैयारी के लिए निर्देशित किया गया।

**2. प्रधानमंत्री आवास योजना**

- पात्रता एवं अपात्रता के संबंध में स्पष्ट निर्देश देते हुए समाधान किया गया।
- सभी जिलों ने आश्वस्त किया कि जल्द ही जिले के लक्ष्य के विरुद्ध 75 प्रतिशत स्वीकृति एवं 50 प्रतिशत प्रकरणों में प्रथम किश्त जारी कर कार्य प्रारम्भ करा देंगे।
- आवास गृह में छत के ठीक नीचे गरम हवा की निकासी के लिए दरवाजे/खिड़की की विपरीत दिशा में रोशनदान बनवाया जाए।

**3. स्वच्छ भारत मिशन**

- ग्राम उदय से भारत उदय अभियान-2017 में 22-31 मई के दौरान भोपाल, नीमच, आगर-मालवा, रीवा एवं बुरहानपुर जिलों को ओडीएफ घोषित कराने का लक्ष्य तय किया गया।
- राज्य कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत करने के लिए योजना बनाकर विकास आयुक्त को प्रस्तुत करें।
- ओडीएफ घोषित ग्रामों में फॉलोअप के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों के उत्साहवर्द्धन के लिए स्पोर्ट्स किट, टी-शर्ट, बैग एनआरएलएम द्वारा बनवाए जाएं।
- सभी ओडीएफ ग्रामों में तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए डीपीआर 15 अप्रैल तक प्रस्तुत की जाए एवं स्वीकृति 30 अप्रैल तक प्राप्त कर कार्य ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के दौरान प्रारम्भ कराए जाएं।

**4. महात्मा गांधी नरेगा**

- भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 की कार्य योजना एवं लेबर बजट का अनुमोदन कर दिया है। जिले निर्धारित प्रारूप में जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करें।
- आबादी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक समय में दो सुदूर सम्पर्क सड़क के कार्य लिए जाएं। यदि एकल मार्ग की व्यवस्था हो गई हो तो एक से अधिक मार्ग बनाए जा सकते हैं।
- नर्मदा नदी सहित बड़ी नदियों के किनारे मोक्षधाम एवं मुण्डन परिसर के लिए मानक रूपांकन, प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति का प्रस्ताव प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तैयार कर विकास आयुक्त से स्वीकृति लें।
- भवनविहीन ग्राम पंचायतों में से 50 प्रतिशत में वर्ष 2017-18 में नरेगा से अभिसरण से भवन बनाए जाने हैं। राज्य सरकार से निर्धारित मानक लागत एवं मानक रूपांकन/प्राक्कलन के अनुसार नरेगा के तहत स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ कराएं।
- भू-जल की दृष्टि से अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल 95 विकासखण्डों में नरेगा के तहत जल ग्रहण क्षेत्र परियोजननाएं ली जाएं।
- प्रत्येक ग्राम में एक तालाब का जीर्णोद्धार/सुदृढ़ीकरण अथवा नए तालाब का निर्माण कराने के लिए आवश्यक स्वीकृति लेकर कार्य यथा शीघ्र प्रारम्भ कराएं।

**दिनांक 06 अप्रैल 2017**

# शौचालय : सोच, निर्माण और उपयोग

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत संपूर्ण देश में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। इन शौचालयों के निर्माण में आवश्यक है कि इनके निर्माण प्रक्रिया में कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखा जाये। जैसे- शौचालयों का निर्माण एक खानापूर्ति भर न रहे, बल्कि निर्माण इस तरह से किया जाये कि वह जिस उददेश्य से बनाया गया है उसकी पूर्ति हो सके। हर घर में शौचालय का निर्माण आवश्यक है। साथ ही यह भी जरूरी है कि खुले में शौच की प्रवृति को भी खत्म किया जाये। अस्वास्थ्यकर शौचालय को पानी से बहाने वाले शौचालयों से बदलने की आवश्यकता है। हाथ के द्वारा की जाने वाली साफ-सफाई की व्यवस्था का जड़ से खात्मा जरूरी है।

**शौचालय निर्माण : उद्देश्य और लक्ष्य**

- खुद के स्वास्थ्य के प्रति भारत के लोगों की सोच और स्वाभाव में परिवर्तन लाना और स्वास्थ्यकर साफ-सफाई की प्रक्रियाओं का पालन करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में वैश्विक जागरुकता का निर्माण करने के लिये और सामान्य लोगों को स्वास्थ्य से जोड़ने के लिये। पूरे भारत में साफ-सफाई की सुविधा को विकसित करने के लिये निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ाना।
- कार्यक्रमों के माध्यम से समुदायों और पंचायती राज संस्थानों को निरंतर साफ-सफाई के प्रति जागरुक करना।

**खुले में शौचमुक्त का अर्थ**

- सभी ग्रामवासियों तथा सामुदायिक संस्थाओं द्वारा सुरक्षित शौचालय का उपयोग किया जाता हो।
- ग्रामीण पर्यावरण में खुले में मल नहीं पाया जाता हो।
- प्रत्येक घर में तथा सामुदायिक संस्थाओं द्वारा मल के सुरक्षित निपटान की तकनीक का उपयोग होता हो।

**एक स्वच्छ शौचालय की परिभाषा**

एक ऐसा स्थान जहां पर व्यक्ति के द्वारा त्याग किए गए मल मूत्र का सुरक्षित तकनीक से निपटान हो रहा हो। सुरक्षित तकनीक वाले शौचालय का मतलब ऐसी तकनीक जिससे सतही मिट्टी, भू-जल एवं सतही जल में मल से संक्रमण न हो, जिससे मल मक्खियों एवं

जानवरों की पहुंच में न हो, ताजे मल को न ढोया जाना पड़े तथा जिससे दुर्गंध निर्मित न हो। जानवरों की पहुंच में न हो, ताजे मल को न ढोया जाना पड़े तथा जिससे दुर्गंध निर्मित न हो।

**शौचालय जरूरी क्यों**

- **स्वास्थ्य के लिये :** दस्त, हैजा, कॉलरा जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाव।
- **देश के लिये :** विश्व के खुले में शौच करने वालों में से 60 प्रतिशत लोग भारतीय हैं।
- **समाज के लिये :** महिलाओं और किशोरियों की मान-मर्यादा की रक्षा।
- **बचत एवं कमाई के लिये :** कम बीमार पड़ते हैं, जिससे इलाज की बचत। कार्य करने के दिनों में वृद्धि और मल खाद में परिवर्तित होने से आमदनी भी।

**शौचालय की विशेषतायें**

- कम खर्च में निर्माण हो सके।
- कम पानी की अवश्यकता हो।
- आसानी से रख-रखाव किया जा सके।
- कम स्थान में निर्माण हो सके।
- मल को खाद में परिवर्तित करने में सक्षम हो।
- दुर्गंध से मुक्त रह सके।
- मल से होने वाली गंदगी को रोक सके।

**घरेलू शौचालय**

सभी प्रकार के घरेलू शौचालयों में प्रमुखतः दो संरचनाएं होती हैं-

1. **जमीन की सतह तथा उसके नीचे का भाग :**
   यह तकनीकी रूप से प्रमुख संरचना होती है, जहां मल-त्याग किया जाता है तथा जिसमें मल सुरक्षित भंडारित होता है एवं भर जाने पर सुरक्षित विधि से निकाला व निपटाया जाता है या सड़ जाने पर खाद के रूप में उपयोग होता है।
2. **जमीन की सतह के ऊपर का भाग :**
   यह ढाँचा मुख्यतः निजता के लिए निर्मित किया जाता है और इसीलिए इस ढांचे के निर्माण में कोई विशेष तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार एक ही तरह के निचले ढांचे के ऊपर विभिन्न आकार-प्रकार वाले कई तरह के ऊपरी ढाँचे आवश्यकता अनुसार प्रचलन में हैं। इसीलिए, सबसे पहले जमीन की सतह तथा उसके नीचे की विभिन्न तरह की संचरनाओं के बारे में जानना जरूरी है।

**शौचालय इकाई का रख-रखाव**

- शौचालय की साफ-सफाई पानी से ही करें, फिनाइल अथवा एसीड के उपयोग से मल को खाद में परिवर्तित करने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं।
- जलबंध के द्वारा आ रही दुर्गंध को रोकने के लिए सीट, जंक्शन चेम्बर एवं चेम्बर से जा रही ड्रैन पाईप में लोहे का तार अथवा बांस की छड़ी से माह में एक बार साफ करें।

**सोख्ता गड्ढा**

**दो गड्ढे वाले शौचालय में से**

### एक गड्ढा भर जाने पर

- शौचालय से जंक्शन चेम्बर और ड्रैन पाईप से होते हुए आने वाले मल का बहाव रुक जायेगा।
- ऐसी स्थिति में जंक्शन चेम्बर को खोलें, जो ड्रैन पाइप भरे हुए गड्ढे की तरफ जा रहा है, उसे बंद कर दें।
- दूसरे गड्ढे में जाने वाला पाइप खोल दें।
- एक गड्ढे वाले शौचालय का गड्ढा भर जाने पर तीन वर्ष के अंदर दूसरा गड्ढा तैयार कर लें जिससे की पहला गड्ढा भर जाने पर दूसरे गड्ढे का प्रयोग किया जा सकें।
- गड्ढा भर जाने की स्थिति में जंक्शन चेम्बर को खोले-जो ड्रैन पाइप भरे हुए गड्ढे की तरफ जा रहा है उसे बंद कर दें और दूसरे गड्ढे में जाने वाला पाइप खोल दें।

### सेप्टिक टैंक वाले शौचालय

- सेप्टिक टैंक भर जाने पर मशीन से खाली करवायें।
- सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अपशिष्ट तरल को सोख्ते गड्ढे में अनिवार्यतः डालें।
- सिर पर मैला ढोने हेतु 2013 के अधिनियम अनुसार व्यक्ति के द्वारा सेप्टिक टैंक में से किसी भी व्यक्ति से मल खाली करवाना कानूनन अपराध है।

### जल संग्रह व्यवस्था

- जल संग्रह व्यवस्था की नियमित समय पर सफाई करें।
- सफाई करने के लिये साबुन के पानी का उपयोग करें, जिससे संग्रहित पानी में पैदा हुए कीटाणु नष्ट किये जा सकें।

### हाथ धुलाई इकाई

- हाथ धुलाई इकाई व्यवस्था की नियमित समय पर साफ सफाई करें।
- सफाई करने के लिये साबुन के पानी का उपयोग करें, जिससे इकाई में पैदा हुए कीटाणु नष्ट किये जा सकें।

### शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि कैसे प्राप्त की जा सकती है?

हितग्राही बताये गये किसी प्रकार के स्वच्छ शौचालय का निर्माण करवा

सकता है। निर्माण पूर्ण होने पर पात्र हितग्राही रुपये 12000 की प्रोत्साहन राशि ले सकता है।

- प्रथम किस्त 6000 रुपये भूमिगत ढांचा प्लेटफार्म वाटर सील चेम्बर पायदान पूर्ण होने पर।
- द्वितीय तथा आखरी किस्त 6000 रुपये ऊपर ढांचापानी की सुविधा साबुन से हाथ धुलाई की इकाई पूर्ण होने पर।

1. हितग्राही शौचालय निर्माण (पूर्ण अथवा प्रगतिरत्) की प्रोत्साहन राशि की मांग स्वच्छ पोर्टल से स्वयं या सचिव/रोज़गार सहायक या अन्य किसी के द्वारा सीधे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से धनराशि की मांग कर सकता है। मांग पश्चात् 15 दिवस के भीतर हितग्राही के खाते में राशि जमा हो जाएगी।
2. हितग्राही को दी जाने वाली राशि प्रोत्साहन राशि है, न कि शौचालय निर्माण की राशि है। हितग्राही चाहे तो अतिरिक्त राशि लगाकर अपने अनुसार शौचालय का निर्माण कर सकता है।

### क्या करें और क्या न करें?

**क्या करें-**

- दैनिक शौचालय की सफाई करें।
- जलबंध में क्षति होने पर यदि दुर्गंध आती है, तो तुरंत राजमिस्त्री को बुलायें।
- शौच के बाद साबुन से हाथ अनिवार्य धोयें।
- शौचालय का एक गड्ढा भर जाने पश्चात ही दूसरे गडढे का उपयोग करें।

**क्या न करें-**

- दो गड्ढे वाले शौचायल में एक साथ दोनों गड्ढों का उपयोग न करें।
- शौच क्रिया पश्चात 2 लीटर से ज्यादा पानी का उपयोग न करें।
- शौचालय की सफाई के लिये एसिड या सोडा का उपयोग न करें।
- शौचालय में अन्य किसी भी प्रकार का कूड़ा-कचरा न फेंकें।
- शौचालय का एक गड्ढा भर जाने के पश्चात 18 महिने तक इस गड्ढे को खोलेंगे नहीं। इस अवधि में मल खाद बन जायेगा।

● **प्रस्तुति - नवीन शर्मा**
(लेखक स्तंभकार हैं)

## स्वच्छ भारत मिशन

# ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन

मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी ग्राम पंचायतों में ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंध का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। हमारी दैनिक गतिविधियों में घरों और अन्य स्रोतों से हर रोज ठोस और तरल रूप में काफी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इस अपशिष्ट से पर्यावरण प्रदूषित होता है।

वर्तमान परिस्थितियों में दैनिक जीवन में ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ के उत्पादन को रोका नहीं जा सकता लेकिन इस अपशिष्ट का उपचार व प्रबंधन कर इसे समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। अभियान अंतर्गत ठोस तथा तरल अपशिष्टों के निपटान के लिए ग्राम पंचायतों को विशेष रूप से वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसके अंतर्गत 150 परिवारों वाली ग्राम पंचायतों को 7.00 लाख रुपये, 150-300 परिवारों वाली ग्राम पंचायतों को 12.00 लाख रुपये, 300 से 500 परिवारों वाली ग्राम पंचायतों को 15.00 लाख रुपये तथा 500 से अधिक परिवारों वाली ग्राम पंचायतों को 20.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। मनरेगा से कन्वर्जेंस करके प्रति 1000 जनसंख्या पर 5.00 लाख रुपये तथा ग्राम की जनसंख्या अधिक होने पर उसी अनुपात में अधिक राशि के कार्य भी लिये जा सकते हैं। यह योजना पंचायत द्वारा संचालित है। इसीलिए ठोस तथा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) का निर्माण किया जाता है।

### ठोस व अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न चरण

गांव में ठोस व अपशिष्ट पदार्थ की समस्या को चिन्हित करने के लिए पहले गांव का भ्रमण कर वहां की स्थिति का आंकलन किया जाता है फिर ग्रामवासियों से संपर्क कर ग्राम सभा में समस्या की चर्चा की जाती है।

जहां समस्या का आंकलन ग्रामीण सहभागी पद्धति (पी.आर.ए.) से किया जाता है वहीं सामाजिक मानचित्रण के माध्यम से स्थल निर्धारण पर विचार विमर्श किया जाता है।

### प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का संकलन

प्राथमिक आंकड़ों का संकलन घरेलू सर्वे द्वारा किया जाता है। द्वितीयक आंकड़ों का संकलन कृषि विभाग, पशु विभाग, भू-राजस्व विभाग, जनगणना विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए सरपंच अथवा सचिवों से चर्चाकर आंकड़ों का संकलन किया जाता है।

### आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण

ग्रामवार जनगणना तथा परिवारों संबंधी आंकड़ें, ग्राम पंचायत का संगठनात्मक ढांचा, पेयजल तथा अन्य उपयोगी जल की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था तथा उपयोगिता, ग्राम पंचायत के नक्शे से किया जाता है।

### ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के विकल्पों का निर्धारण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विकल्प के रूप में मुख्यतः भू-नाडेप, नाडेप, वर्मी कम्पोस्ट, बायोगैस आदि हो सकते हैं।

तरल अपशिष्ट प्रबंधन के विकल्प के रूप में मुख्यतः सोख्ता गड्ढे, लीचपिट, किचन गार्डन, जल स्थिरीकरण तालाब (डब्ल्यू.एस.पी.) हो सकते हैं।

### अपशिष्ट प्रबंधन के लिए होने वाली गतिविधियां

- डस्टबिन प्रदाय न करना।
- ट्राई साईकिल की व्यवस्था करना।
- हाथ गाड़ी का उपयोग करना।
- सेग्रीग्रेशन शेड।
- नाडेप, वर्मी कम्पोस्ट और बायोगैस का निर्माण करना।

तरल अपशिष्ट के निपटान के लिए सोख्ता गड्ढा, लीचपिट, किचन गार्डन, जल स्थिरीकरण तालाब (डब्ल्यू.एस.पी.) आदि का निर्माण करना।

### वित्तीय व्यवस्था

- 150 परिवारों वाली ग्राम पंचायतों के लिए 7.00 लाख।
- 150-300 परिवारों वाली ग्राम पंचायतों के लिए 12.00 लाख।
- 300-500 परिवारों वाली ग्राम पंचायतों के लिए 15.00 लाख।
- 500 से अधिक परिवारों वाली ग्राम पंचायतों के लिए 20.00 लाख अधिकतम।
- मनरेगा से प्रति 1000 लोगों की जनसंख्या के लिये परियोजना अथवा कार्य की लागत 05.00 लाख। ग्राम की जनसंख्या अधिक होने पर उसी अनुपात में अधिक राशि के कार्य भी लिये जा सकेंगे।

### परियोजना संचालन के लिए संस्थागत व्यवस्था

- योजना संचालन के लिए ग्रामसभा के माध्यम से लोगों में स्वच्छता कर के लिए आम सहमति बनाना।
- योजना का संचालन जैविक खाद से प्राप्त आय से किया जाना।
- योजना का संचालन अजैविक अपशिष्ट की बिक्री से प्राप्त आय से किया जाना।

### परियोजना क्रियान्वयन

ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन की परियोजना क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तर पर कार्य किये जाते हैं। गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इसके लिए किये जाने वाले प्रमुख कार्यों व गतिविधियों में ग्रामीणजनों में जागरुकता लाना, बच्चों में स्वच्छता के प्रति समझ विकसित करना, ग्राम पंचायत में कार्यरत सभी सरकारी, गैर-सरकारी अमले को प्रशिक्षत करना, कर वसूली के लिए आम सहमति प्राप्त करना, स्वच्छता मित्रों को प्रशिक्षित करना, निगरानी समितियों को प्रशिक्षत करना आदि शामिल हैं।

● **प्रस्तुति - अभिषेक सिंह**
(लेखक स्तंभकार हैं)

# घरेलू शौचालय के निर्माण में दोहरे गड्ढों वाले लीच पिट तकनीक का हो उपयोग

**मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू शौचालयों के निर्माण में दोहरे गड्ढों वाले लीच पिट (ट्विन लीच पिट) तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस संबंध में राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।**

**मध्यप्रदेश शासन**
**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**
**बी-विंग, द्वितीय तल विन्ध्याचल भवन, भोपाल**

**क्र./1502/22/वि-7/पं.ग्रा.वि./एस.बी.एम. (जी.)/2017** **भोपाल, दिनांक : 20.04.2017**

**प्रति,**

**कलेक्टर**
**जिला-समस्त, मध्यप्रदेश।**

**विषय- दोहरे गड्ढों वाले लीच-पिट (Twin leach Pit) तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिये जाने के संबंध में।**

**संदर्भ-** सचिव पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत शासन से प्राप्त पत्र क्रमांक D.O. No.- 2/2/Secy(DWS)/16 दिनांक 6 अप्रैल 2017

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू शौचालयों के निर्माण में दोहरे गड्ढों वाले लीच-पिट (Twin leach Pit) तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिये जाने के निर्देश हैं। अन्य तकनीक (चेम्बर सहित एक लीच-पिट अथवा सेप्टिक टैंक) वाले शौचालय का उपयोग अपरिहार्य परिस्थिति में ही मान्य है।

2. यह वैज्ञानिक तौर पर साबित हुआ है कि दो गड्ढों वाला लीच-पिट शौचालय- 1-6 सदस्यों वाले एक परिवार द्वारा 5 वर्षों तक उपयोग पश्चात् ही भरता है। 2. भरे हुए गड्ढे का अपशिष्ट 6 महीने से 1 वर्ष में पूरी तरह से विघटित हो जाता है। 3. यह विघटित कचरा एन.पी.के. (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम) जैसे पोषक तत्वों में परिवर्तित होकर कृषि के लिए आदर्श खाद बनाता है। 4. गड्ढे को खाली करने के बाद पुनः उसका उपयोग किया जा सकता है।
3. यही कारण है कि इस शौचालय तकनीक को एक ग्रामीण परिवार के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे सस्ता और पर्यावरण-अनुकूल शौचालय तकनीक के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है।
4. यह एक आम धारणा है कि कम लागत से जुड़वां गड्ढे वाले लीच-पिट शौचालय केवल गरीब और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए हैं। कई परिवार अन्य प्रौद्योगिकियों की तरह ही शौचालयों का शहरी क्षेत्रों में प्रचलित विकल्प चुनते हैं जैसे- सेप्टिक टैंक जो अपेक्षाकृत असुरक्षित एवं महंगा होता है साथ ही, उसे खाली करने में कठिनाई होती है।
5. प्रामाणिक संस्थाओं द्वारा किये गये सर्वे में यह पाया गया है कि कम लागत वाले दोहरे लीच-पिट के शौचालयों का निर्माण और उपयोग नहीं करने में इन गड्ढों को खाली करने के साथ जुड़ी भ्रांतियाँ है जिसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता।
6. कम लागत के जुड़वां गड्ढे वाले लीच-पिट शौचालय से संबंधित जानकारी को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए विभिन्न सूचना और संचार (आईईसी) गतिविधियां किया जाना आवश्यक हैं।
7. पेयजल जल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से मीडिया के समक्ष उच्च राजनीतिक व्यक्तियों एवं राज नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भरे हुए गड्ढों के विघटित पदार्थ को खाली करने का प्रदर्शन कर लीच-पिट शौचालय से जुड़ी भ्रांतियों को कम करने तथा इस तकनीक से संबंधित जानकारी देने के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि आप शौचालय निर्माण की तकनीकी में जुड़वां गड्ढे वाले लीच-पिट शौचालय को बढ़ावा देने की समुचित गतिविधियां आयोजित करावें तथा शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु जुड़वां गड्ढे वाले लीच-पिट के अतिरिक्त अन्य तकनीक से निर्मित शौचालय को अपरिहार्य परिस्थितियों में ही मान्य करें। साथ ही, दो लीच-पिट से जुड़ी भ्रांति को समाप्त करने हेतु भरे लीच-पिट को खाली करने का सार्वजनिक आयोजन करावें, जिससे आम जनता इस तकनीक को अपनाने हेतु सहर्ष आगे आ सके।

**(राधेश्याम जुलानिया)**
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

# ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए दिशा-निर्देश

**मध्यप्रदेश शासन**
**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**

**क्र/3163/पं.ग्रा.वि/एस.बी.एम.(जी.)/2016** **भोपाल दिनांक 01/06/2016**

**प्रति,**

1. कलेक्टर, जिला- समस्त, मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत- जिला समस्त, मध्यप्रदेश
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जनपद पंचायत, समस्त-जनपद, मध्यप्रदेश

**विषयः- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान।**

**संदर्भः-** कार्यालय पत्र क्र. क्र 1282/पं.ग्रा.वि/एस.बी.एम.(जी.)/2015 भोपाल दिनांक 05/11/2015

खुले में शौच से मुक्ति हेतु स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों को शौचालय निर्माण एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं-

1. स्वच्छ घरेलू शौचालय एक ऐसी संरचना है, जिसमें एक स्वच्छ सबस्ट्रक्चर, एक पक्का सुपरस्ट्रक्चर (जिसमें पक्की दिवालों सहित छत बनी हो) तथा पानी की सुविधा सहित हाथ धोने की इकाई हो।
2. व्यक्तिगत घरेलू स्वच्छ शौचालय के कई स्वीकृत मॉडल प्रचलन में है, जैसे- चेम्बर सहित 01 लीच-पिट शौचालय, चेम्बर सहित 02 लीच-पिट शौचालय, सैप्टिक टैंक वाला शौचालय, बायो-टॉयलेट, इत्यादि।
3. पात्र हितग्राही द्वारा उपरोक्त किसी भी डिजाईन तथा उपरोक्तानुसार सुपरस्ट्रक्चर, पानी भण्डारण एवं हाथ धोने की इकाई वाला स्वच्छ शौचालय का निर्माण किये जाने के पश्चात उनके खाते में प्रोत्साहन राशि रुपये 12000 सीधे हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित करें बशर्ते किसी भी शौचालय का अपशिष्ट पदार्थ/तरल बाहर आकर पर्यावरण को प्रदूषित न करें।
4. प्रोत्साहन राशि 02 किश्तों में दिये जाने का विकल्प चुन सकता है, जिसके अन्तर्गत :-
   1. वाटरसील-सीट एवं पायदान सहित चेम्बर के माध्यम से जुड़ा स्वच्छ सबस्ट्रक्चर (कुर्सी स्तर तक) बनने पर प्रथम किश्त की राशि रुपये 6000 तथा
   2. पक्का सुपरस्ट्रक्चर, (जिसमें पक्की दिवालों सहित छत बना हो तथा दरवाजा लगा हो) तथा पानी की सुविधा सहित हाथ धोने की ईकाई बन जाने पर दूसरी अंतिम किश्त राशि रुपये 6000 का भुगतान किया जाए।
5. शौचालय निर्माण हितग्राही स्वयं अथवा ग्राम पंचायत से करा सकता है। निर्माण की प्रगति एनआईएस में प्रविष्टि तथा वेबसाइट पर निर्माण का फोटो अपलोड करना बंधनकारी है। ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र अन्तर्गत ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त करने की अन्य समस्त गतिविधियाँ संचालित करेंगी।
6. जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शौचालय निर्माण का चरण पूर्ण होने पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान हितग्राही द्वारा मांग किये जाने के अधिकतम 15 दिवस में उसके खाते में हस्तांतरित करेगा। इस अवधि में संकुल समन्वय अधिकारी अथवा अन्य नोडल अधिकारी से सत्यापन कराना मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की जिम्मेदारी होगी।
7. हितग्राही शौचालय निर्माण (पूर्ण अथवा प्रगतिरत) का फोटो विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराकर सीधे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से धनराशि की मांग कर सकेगा। उसे ग्राम पंचायत अथवा नोडल अधिकारी/संकुल समन्वय अधिकारी के माध्यम से आवेदन देना आवश्यक नहीं होगा।

**(राधेश्याम जुलानिया)**
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

# हितग्राहियों के खाते में सीधे हस्तांतरित होगी शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि

**राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)**

**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग. बी-विंग अपर बेसमेन्ट, सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.)**

**क्र/3329/प.ग्रा.वि/वि-7/एस.बी.एम. (जी.)/2016** **भोपाल दिनांक 15/06/2016**

**प्रति,**

**1. कलेक्टर, जिला- समस्त, मध्यप्रदेश**

**2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत- जिला-समस्त, मध्य प्रदेश**

**3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत- समस्त-जनपद, मध्यप्रदेश**

**विषयः- शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि का हितग्राहियों के खाते में सीधा इलेक्ट्रानिक हस्तांतरण।**

**संदर्भः- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक 3163/पं.ग्रा.वि./एस.बी.एम.(जी)/2015 भोपाल दिनांक 01.06.2016**

उपरोक्त संदर्भित पत्र की कंडिका-6 में शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि का हितग्राही के खाते में भुगतान करने के लिए अधिकतम समय-सीमा 15 दिवस नियत की गई है। उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुक्रम में भुगतान के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः-

(i) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत पात्र हितग्राही शौचालय के प्रथम/अन्तिम चरण के पूर्ण होने अथवा सम्पूर्ण निर्माण पूर्ण होने के पश्चात प्रोत्साहन राशि की मांग सीधे जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कर सकेगा।

(ii) हितग्राही द्वारा धनराशि की मांग उसकी समग्र आई.डी. का उपयोग कर swachh.mp.gov.in पर ऑनलाईन की जाएगी। धनराशि की मांग शासकीय अथवा पंचायतीराज संस्था के किसी कर्मचारी/प्रतिनिधि के माध्यम से करना आवश्यक नहीं होगा। यदि हितग्राही चाहे तो वह धनराशि की ऑनलाइन मांग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की मदद ले सकेगा।

**(iii) स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन व्यवस्थाः-**

(a) swachh.mp.gov.in वेबसाईट पर धनराशि की मांग आने से 7 दिवस में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत निर्दिष्ट पंजीकृत संकुल समन्वय अधिकारी/सहायक विकास विस्तार अधिकारी/उपयंत्री/पंचायत सचिव/रोजगार सहायक अथवा अन्य किसी अधिकारी से शौचालय निर्माण का निरीक्षण कराएगा। (b) वेबसाइट पर धनराशि की मांग प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम हेतु निर्दिष्ट निरीक्षणकर्ता अधिकारी शौचालय निर्माण स्थल का 'जीओ-टैग्ड' फोटो लेगा एवं मांग की गई किश्त अनुसार कार्य की भौतिक स्थिति दर्ज कर इसे वेबसाईट पर 'स्वच्छ मध्यप्रदेश' एप के माध्यम से अपलोड करेगा। (c) निर्दिष्ट निरीक्षण अधिकारी शौचालय की भौतिक स्थिति अनुसार किश्त निर्धारण संबंधी अभिमत संदर्भित पत्र के कंडिका क्रमांक-1 से 4 अनुसार करेगा। (d) स्थल निरीक्षण के दौरान शौचालय निर्माण में सुधार आवश्यक पाया जाने की दशा में निरीक्षणकर्ता अधिकारी हितग्राही को मार्गदर्शन देकर यथोचित सुधार कराएगा।

(iv) शौचालय निर्माण का सत्यापन कराने और जीओ-टैग्ड फोटो विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के उपरांत पात्र हितग्राही को देय प्रोत्साहन राशि का भुगतान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा 'इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर आर्डर' जारी कर किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि का भुगतान सामान्यतः हितग्राही की वेबसाईट पर मांग प्राप्त होने से 15 दिवस के भीतर किया जाना अपेक्षित है।

(v) शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि का भुगतान केवल हितग्राही के बैंक खाते में ही किया जाए। हितग्राही अपनी सुविधानुसार पंचायत अथवा अन्य किसी निर्माणकर्ता से कार्य कराने हेतु स्वतंत्र है।

(vi) यदि शौचालय निर्माण हितग्राही द्वारा नहीं किया जाकर पंचायत/अन्य निर्माणकर्ता द्वारा कराया गया हो तो निर्मित शौचालय की गुणवत्ता से हितग्राही संतुष्ट होकर स्वीकार करने के उपरांत प्रोत्साहन राशि हितग्राही के बैंक खाते में जमा की जावेगी जो निर्माण एजेंसी को भुगतान करेगा।

(vii) उपरोक्त संदर्भित पत्र की कंडिका-7 को संशोधित कर, हितग्राही द्वारा फोटो अपलोड करने की अनिवार्यता समाप्त की जाती है।

2. जिन शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायतों द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है, उन प्रकरणों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत व्यक्तिशः निरीक्षण करने एवं हितग्राही की लिखित संतुष्टि प्राप्त होने पर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से पूर्व प्रक्रिया अनुसार भुगतान कर सकेंगे। यदि भुगतान 30 जून 2016 के बाद किया जाता है तो एफ.टी.ओ. से भुगतान करना होगा।

3. दिनांक 01 जुलाई 2016 से आर.टी.जी.एस. प्रणाली से भुगतान पूर्णतः बन्द हो जाएगा।

**(विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा आदेशित)**

15/6/16

**(हेमवती वर्मन)**
राज्य कार्यक्रम अधिकारी
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

# प्रत्येक माह होगा मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान दिवस का आयोजन

**ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरुक करने अथवा गांवों को खुले में शौच मुक्त करने में सहभागी व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। सभी जिलों में प्रत्येक माह की 15 तारीख को मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान दिवस आयोजित किया जायेगा और स्वच्छ भारत अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले सक्रिय व्यक्तियों को सम्मानित किया जायेगा। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।**

**मध्यप्रदेश शासन**
**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**

**क्र/141/22/वि-7/पं.ग्रा.वि./एस.बी.एम. (जी.)/2016** **भोपाल दिनांक 20/01/2017**

**प्रति,**

**1.** **कलेक्टर,**
**जिला- समस्त, मध्यप्रदेश**

**2.** **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**जिला पंचायत-**
**जिला-समस्त, मध्यप्रदेश**

**3.** **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**जनपद पंचायत-**
**समस्त-जनपद, मध्यप्रदेश**

**विषयः-** **मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान दिवस का प्रत्येक माह आयोजन।**

स्वच्छ भारत मिशन में अहम भूमिका निभाने वाले सक्रिय व्यक्तियों को पूरे मध्यप्रदेश में एक निश्चित तिथि को सम्मानित करने हेतु शासन द्वारा **"मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान दिवस"** आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

1. मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान दिवस आयोजित करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें-

**i.** **आयोजन का दिन-** प्रतिमाह 15 तारीख को पिछले माह में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान समारोह जिला स्तर पर आयोजित किया जाकर इन्हें सम्मानित किया जाए।

ii. **आयोजन के अतिथि-** इस समारोह की अध्यक्षता जिला पंचायत के अध्यक्ष से कराई जाए। मुख्य अतिथि के लिए माननीय मंत्री/प्रभारी मंत्री/सांसद तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय विधायक को आमंत्रित किया जाए।

**iii.** **सम्मान हेतु व्यक्ति (चैम्पियन) की श्रेणी-** यह पी.आर.आई. मेम्बर, आशा आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, अधिकारी/कर्मचारी, समुदाय सदस्य, राजनीतिक/स्वाभाविक नेता आदि कोई भी स्वच्छता चैम्पियन हो सकते हैं जिन्होंने विगत माह स्वच्छता मिशन में उत्कृष्ट कार्य किया हो।

**iv.** **चयन का मानदण्ड** (Criteria)-

(अ) एक या एक से ज्यादा ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त करने में असाधारण योगदान दिया हो;

अथवा

(ब) महिलाओं की अभियान में सक्रिय भागीदारी कराकर ग्राम को खुले में शौच से मुक्त किया हो; अथवा

(स) ग्रामीण बच्चों को अभियान में सतत् रूप से जोड़कर ग्राम/ग्रामों को शौच से मुक्त किया हो; अथवा

(द) मिशन की गतिविधियों से संबंधित शासकीय दायित्वों, जैसे सबसे ज्यादा ऑनलाईन माँग का सत्यापन/

एफ.टी.ओ./ओ.डी.एफ. सत्यापन/प्रेरकों का अभिप्रेरण कार्य में समयबद्ध संलग्नता आदि का उत्कृष्ट निर्वहन हो; अथवा
(इ) राजमिस्त्री के रूप में सबसे ज्यादा गुणवत्ता पूर्ण सर्वश्रेष्ठ शौचालयों का निर्माण करने में योगदान दिया हो; अथवा
(फ) मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समुदाय की भागीदारी के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो।

v. **जनपद स्तरीय चयन समिति-** इस समिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अध्यक्ष जनपद पंचायत तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत होंगे जो प्रतिमाह 01 से 04 तारीख के बीच अपने क्षेत्रान्तर्गत अधिकतम 05 उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का चयन कर 05 तारीख तक इनका नाम मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान दिवस में सम्मानित होने हेतु जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

vi. **जिला स्तरीय चयन समिति-** इस समिति में कलेक्टर, अध्यक्ष जिला पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रहेंगे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रत्येक माह की 6-8 तारीख के बीच जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक आयोजित कर उसमें जनपद पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों में जिला स्तर से 05 अन्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का भी चयन मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान हेतु करेंगे।

vii. **घोषित ओ.डी.एफ. ग्रामों का सत्यापन एवं ओ.डी.एफ. करने में प्रमुख भूमिका निभाने वालों को आमंत्रण-** जिस माह में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसके पिछले माह में खुले में शौच से मुक्त घोषित पंचायतों/ग्रामों का जनपद पंचायत द्वारा 5 तारीख तक सत्यापन किया जावे। सत्यापन में ओ.डी.एफ. पाये गये गाँव/पंचायत के सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक सहित ओ.डी.एफ करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले 10 व्यक्तियों की सूची जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय समिति से अनुमोदित कराकर प्रत्येक माह के 6 तारीख को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजें एवं इन सभी को समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें।

viii. **स्वच्छता सम्मान दिवस का कार्यक्रम-** प्रत्येक माह की 15 तारीख को जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान दिवस का कार्यक्रम प्रातः 11.00 बजे प्रारंभ किया जाए। सुझावात्मक समय-सारणी संलग्न है।

ix. सम्मान-समारोह में पुरस्कृत होने वाले समस्त चैम्पियन्स को बन्द गले का जैकेट एवं मिशन के लोगो वाला कैप/गमछा सम्मान स्वरूप दिया जायेगा तथा प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया जायेगा। प्रमाण-पत्र का प्रारूप संलग्न है।

x. **कार्यालय में होर्डिंग-** माह में जिले में सम्मान दिवस हेतु चयनित समस्त व्यक्तियों का चित्र कलेक्टर कार्यालय एवं जिला पंचायत कार्यालय परिसर में होर्डिंग पर अगले सम्मान समारोह तक प्रदर्शित किया जायेगा। चित्र के नीचे सम्मानित व्यक्ति का नाम लिखा जाए। ब्लॉक स्तर पर भी उस जनपद के सम्मानित व्यक्तियों का इसी प्रकार की होर्डिंग जनपद पंचायत परिसर में सहज दृश्य स्थल पर लगाया जाये।

xi. **सम्मानित व्यक्तियों की डायरेक्ट्री-** प्रत्येक जिला मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान दिवस पर सम्मानित व्यक्तियों की जानकारी राज्य स्तर पर निर्मित ऑनलाईन डायरेक्ट्री में दर्ज करेगा।

xii. **वित्तीय व्यवस्था-** कार्यक्रम आयोजन हेतु व्यय की अधिकतम सीमा निम्नानुसार नियत की जाती है-

1. कार्यक्रम के आयोजन एवं सम्मानित व्यक्तियों के होर्डिंग आदि के लिए अधिकतम रु. 50,000/-।
2. सम्मानित किये जाने वाले व्यक्तियों के परिवहन, भोजन एवं चाय-नाश्ता के लिए रु. 250/- प्रति सम्मानित व्यक्ति एवं सम्मान (जैकेट एवं केप/गमछा) तथा प्रमाण-पत्र के लिए रु. 500/- प्रति सम्मानित व्यक्ति।
3. ओडीएफ ग्रामों से प्रतिभागियों के लिए प्रति व्यक्ति रु. 250/- (परिवहन, चाय-नाश्ता, भोजन) के मान प्रति ओडीएफ ग्राम के अधिकतम 10 व्यक्तियों के लिए।
4. कार्यक्रम का कुल व्यय रु. 2 लाख से अधिक होने की संभावना की दशा में राज्य कार्यक्रम अधिकारी (एसबीएम) से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

3. उपरोक्त क्र. 1 एवं 2 का व्यय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के सूचना शिक्षा संचार मद से एवं क्र. 3 का व्यय प्रशिक्षण मद से विकलनीय होगा।

**संलनः** 1. कार्यक्रम की रूपरेखा।
2. चैम्पियन्स की डायरेक्ट्री।
3. होर्डिंग एवं प्रमाण-पत्र का डिजाईन।

**(नीलम शमी राव)**
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास

## मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान दिवस
## कार्यक्रम की रूपरेखा

| समय | कार्यक्रम | वक्ता |
|---|---|---|
| 10.30 से 11.00 | पंजीयन | |
| 11.00 से 11.05 | कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ एवं अतिथियों का स्वागत | |
| 11.05 से 11.20 | कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उपलब्धियों पर उद्‌बोधन | मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत |
| 11.20 से 11.35 | मिशन लीडर का उद्‌बोधन | जिला कलेक्टर |
| 11.35 से 12.35 | खुले में शौच से मुक्त ग्राम को स्थाई एवं सतत् बनाये रखने के लिये आवश्यक व्यवस्थाओं पर प्रशिक्षण | संसाधन व्यक्ति |
| 12.35 से 1.35 | कचड़ा मुक्त कीचड़ मुक्त ग्राम बनाने हेतु निर्मित की जाने वाली कार्ययोजना का प्रशिक्षण | संसाधन व्यक्ति |
| 1.35 से 2.00 | चयनित चैम्पियन्स एवं खुले में शौच से मुक्त सत्यापित ग्राम के सरपंच, का सम्मान एवं प्रमाण-पत्र वितरण | |
| 2.00 से 2.15 | मुख्य अतिथि का उद्‌बोधन | |
| 2.15 से 2.30 | अध्यक्षीय उद्‌बोधन | |
| 2.30 से 2.35 | आभार प्रदर्शन | |
| 2.35 से 3.00 | आमंत्रितों को भोजन | |

## चैम्पियन्स की डायरेक्ट्री

| क्र. | जनपद का नाम | स्वच्छता चैम्पियन का नाम | महिला/ पुरुष | आयु | शासकीय/ अशासकीय | वर्तमान वृत्ति (प्रोफेशन) | निवास का पता | मो./फोन नम्बर | किये गये उत्कृष्ट कार्य का विवरण (न्यूनतम 50 शब्द) | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |

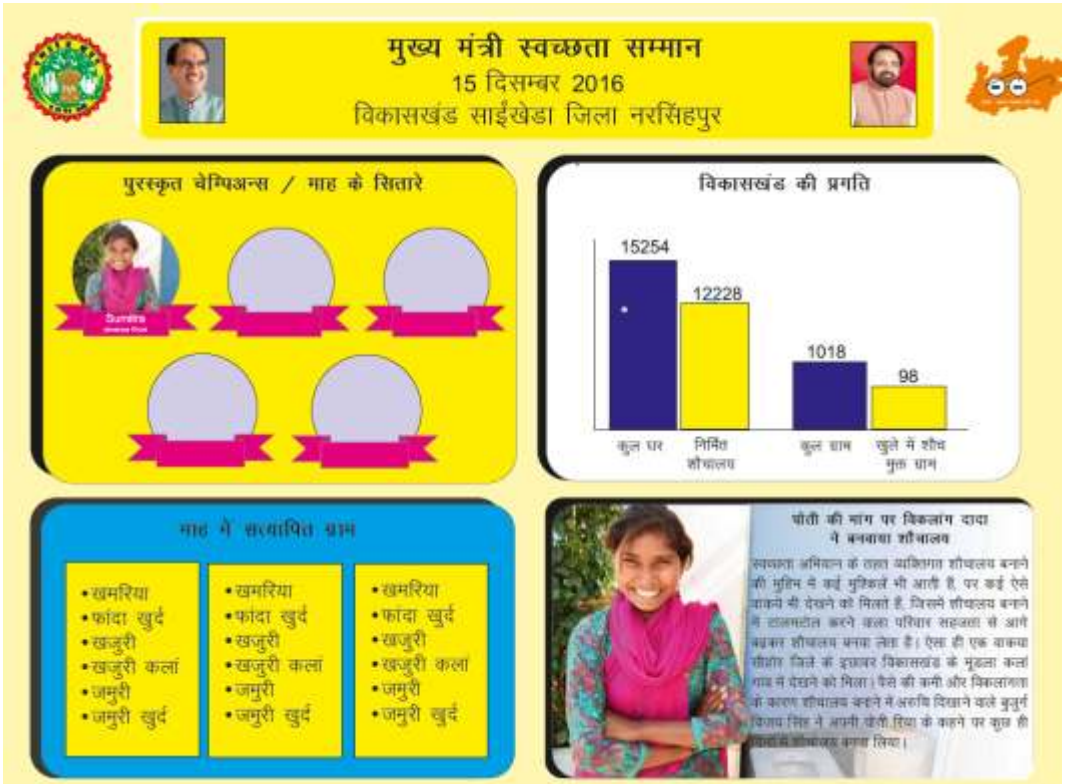


होर्डिंग

प्रमाण-पत्र

# सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए दिशा-निर्देश

**मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराया जा रहा है। इन सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किन-किन स्थानों पर होगा, उसके क्या मापदण्ड होंगे। इन परिसरों का संचालन और संधारण कौन करेगा। इसके लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशों को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।**

**मध्यप्रदेश शासन**
**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**

**क्र/222/22/एस.बी.एम.(ग्रा.)/SLWM/2017** **भोपाल दिनांक 28/01/2017**

**प्रति,**

**1. कलेक्टर,**
**जिला- समस्त,**
**मध्यप्रदेश**

**विषयः- सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण एवं संचालन-संधारण के संबंध में।**

विषयान्तर्गत प्रदेश में बड़ी संख्या में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण हेतु स्वीकृति के प्रस्ताव शासन स्तर पर प्राप्त हो रहे हैं। प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण में यह पाया गया है कि परिसरों की स्वीकृति हेतु भारत शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किये जाने से प्रस्तावों की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। भारत शासन की स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की मार्गदर्शिका के आलोक में निम्नानुसार कार्यवाहियां सुनिश्चित करते हुए परिपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध करावें-

1. सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण सार्वजनिक एवं भीड़-भाड़ वाले स्थलों जैसे- हाट बाजार, बस स्टैण्ड आदि पर ही प्रस्तावि किया जाये। शासकीय भवनों के परिसरों आदि में नहीं।
2. शासन द्वारा परिसर हेतु अनुमत्य सहयोग निधि की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये है, जिसमें केन्द्र शासन, राज्य शासन एवं सामुदायिक सहयोग निधि का अनुपात 60:30:10 में नियत किया गया है। अतः 2 लाख रुपये से अधिक का प्रस्ताव होने में अतिरिक्त राशि की व्यवस्था का स्त्रोत एवं उपलब्धता का स्पष्ट ब्यौरा दिया जाना चाहिए।
3. सामुदायिक सहयोग निधि की राशि 20 हजार रुपये (दो लाख का 10 प्रतिशत) का स्त्रोत एवं उपलब्धता का स्पष्ट ब्यौरा दिया जाना चाहिए।
4. परिसर में प्रस्तावित महिला शौचालय एवं पुरुष शौचालय की संख्या, मूत्रालयों की संख्या, हाथ धोने के बेसिन की संख्या, स्नान घरों की संख्या, पानी संग्रहण हेतु टंकी की व्यवस्था आदि की स्प्ष्ट जानकारी ड्राईंग डिजाईन के माध्यम से संलग्न होनी चाहिए।
5. संचालन एवं संधारण हेतु राशि की व्यवस्था पंचायत/समुदाय आदि किस प्रकार करेंगे, उसकी निरंतरता किस प्रकार बनी रहेगी तथा कितनी राशि की उपलब्धता होगी, इसकी जानकारी संलग्न की जाये।
6. परिसर हेतु जल की व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी, ब्यौरा दिया जाये।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पूर्व निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के स्थानीय निकायों/समुदायों द्वारा रख-रखाव न किये जाने के कारण उनके अनुपयोगी एवं जीर्ण-शीर्ण हो जाने की शिकायतें शासन के ध्यान में लाई गई हैं, अत- उपरोक्तानुसार पूर्व तैयारियां सुनिश्चित कराते हुए ग्रामसभा/समुदाय के संकल्प प्रस्ताव सहित सम्पूर्ण जानकारियां शीघ्रता से राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को निर्धारित प्रपत्र सहित उपलब्ध करायें, ताकि परिसरों के प्रस्तावों की स्वीकृति पर निर्णय लिया जा सके।

**(नीलम शमी राव)**
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

# स्थानीय निधि संपरीक्षा से कराये जायेंगे पंचायत सचिवों के वेतनमान का अनुमोदन

**मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय**

**क्र/924/1177/2017/ई/चार** **भोपाल दिनांक : 07.04.2017**

**प्रति,**

**समस्त कलेक्टर/समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश ।**

**विषयः- ग्राम पंचायत सचिवों को स्वीकृत वेतनमान का अनुमोदन संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा से कराये जाने बाबत्।**

**संदर्भः-** मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल का आदेश क्र. एफ-2/9/2013/22/पी-1 भोपाल, दिनांक 24.07.2013।

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित आदेश से प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों को नवीन संशोधित वेतन बैंड एवं ग्रेड पे विभिन्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त वेतन के आधार पर ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा वेतन भी आहरित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के लेखों की संपरीक्षा स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा संपादित की जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा समस्त ग्राम सचिवों के स्वीकृत वेतनमान का अनुमोदन अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा स्तर से सम्पादित कराने के निर्देश दिनांक 11.02.2014 तथा 05.08.2016 को जारी किये गये हैं, परन्तु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन निर्धारण का अनुमोदन स्थानीय निधि संपरीक्षा से कराये बिना ही वेतन आहरित किया जा रहा है। इस कारण त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की संभावना बनी रहती है तथा इस संबंध में वास्तविक स्वीकृत दिनांक के पूर्व से ही वेतन आहरित करने के संदर्भ में शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं।

अतः ग्राम पंचायत सचिवों को स्वीकृत वेतनमान का अनुमोदन क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा स्तर से कराये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस संबंध में आप अपने स्तर से ही समुचित निर्देश प्रसारित करें।

**(अनिरूद्ध मुकर्जी)**
सचिव, वित्त विभाग, म.प्र. शासन,

---

# ग्राम पंचायत सचिवों को स्वीकृत नवीन वेतनमान का होगा अनुमोदन

**पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश**
**अरेरा हिल्स, तिलहन संघ भवन, भोपाल- 462004**
**फोन नं 0755-2555726 फैक्स नं. 0755-2552899, ई-मेल dirpanchayat@mp.gov.in**

**क्र/बजट/2017/4250** **भोपाल दिनांक 12/04/2017**

**प्रति,**

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत-समस्त मध्यप्रदेश ।**

**विषयः- ग्राम पंचायत सचिवों को स्वीकृत वेतनमान का अनुमोदन संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा से कराये जाने बाबत्।**

**संदर्भः-** मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 924/1177/2017/ई/चार, दिनांक 07.04.2017।

विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के संदर्भित आदेश में उल्लेखित निर्देशों के अनुक्रम में अवगत हो कि ग्राम पंचायत सचिवों को दिनांक 01.08.2013 से स्वीकृत नवीन वेतनमान का अनुमोदन क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये उक्त कार्य दो माह की अवधि के अंदर संपादित किया जाकर संचालनालय को सूचित किया जावे। ताकि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की संभावना न रहे। अन्यथा की स्थिति में आप की जिम्मेदारी निर्धारित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। यदि ग्राम पंचायत सचिवों को अनुमोदन न कराये जाने के कारण वेतन का अधिक भुगतान होता है, तो उसकी वसूली आपसे की जावेगी।

**आयुक्त**
पंचायत राज संचालनलय, मध्यप्रदेश

# ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन का निर्धारण

**पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश**
**अरेरा हिल्स, तिलहन संघ भवन, भोपाल- 462004**

**क्र. /पं. रा./बजट/2017/4460** **भोपाल दिनांक 18/04/2017**

**प्रति,**

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
**जनपद पंचायत-समस्त, मध्यप्रदेश ।**

**विषयः- ग्राम पंचायत में पदस्थ ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन निर्धारण बाबत्।**

**संदर्भः-** मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग आदेश क्रमांक 924/1177/ई/चार, दिनांक 07.04.2017।

वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र वित्त विभाग ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा सचिवों के वेतन निर्धारण का अनुमोदन स्थानीय निधि संपरीक्षा से नहीं कराया जाकर वेतन आहरित किये जाने पर आपत्ति की है। 2. आप विदित हैं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2/9/2013/22/P-1/दिनांक 24/07/2013 द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के लिए नवीन संशोधित वेतन एवं ग्रेड पे की स्वीकृति दी गई है। इस आदेश एवं इसके अनुक्रम में उत्तरवर्ती आदेश/स्पष्टीकरण के अनुसार ग्राम पंचायत सचिवों का नवीन संशोधित वेतन एवं ग्रेड पे में निर्धारित किया जाना है। वेतन निर्धारण का अनुमोदन स्थानीय निधि संपरीक्षा से कराने के उपरांत ग्राम पंचायत सचिवों को तदानुसार वेतन भुगतान किया जाना है। 3. आपको निर्देशित किया जाता है कि आप वित्त विभाग के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत सचिवों का नवीन संशोधित वेतन एवं ग्रेड पे में वेतन का निर्धारण करते हुए यथाशीघ्र स्थानीय निधि संपरीक्षा से अनुमोदन प्राप्त करें। जिन प्रकरणों में वेतन निर्धारण तो कर दिया गया है, लेकिन स्थानीय निधि संपरीक्षा से अनुमोदन नहीं कराया गया है, उन प्रकरणों को तत्काल परीक्षण एवं अनुमोदन हेतु स्थानीय निधि संपरीक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजकर वेतन निर्धारण की कार्रवाई पूर्ण कराएं। 4. स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा वेतन निर्धारण का अनुमोदन किये जाने तक ग्राम पंचायत सचिवों को निम्नानुसार तदर्थ रूप से वेतन भुगतान किये जाने की अनुमति दी जाती हैः-

| मासिक वेतन का विवरण | दस वर्ष से कम सेवा होने पर | दस वर्ष या अधिक सेवा होने पर |
|---|---|---|
| 01.08.2013 को मूल वेतन | 3,970 | 3,970 |
| मूल वेतन 01.08.2016 से | 4,460 | 4,460 |
| ग्रेड पे | 1,100 | 1,200 |
| महंगाई भत्ता (132 प्रतिशत) | 7,339 | 7,472 |
| स्थाई यात्रा भत्ता | 250 | 250 |
| विशेष वेतन | 1,300 | 1,300 |
| **कुल राशि** | **14,449** | **14,682** |

**(डॉ. मसूद अख्तर)**
संचालक
पंचायत राज संचालनलय, मध्यप्रदेश

# सरपंच और पंचों के मानदेय की राशि ग्राम पंचायत के खाते में जमा

**मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचों के मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायत के खाते में पंचायत राज संचालनालय द्वारा जमा किया जायेगा। इस संबंध में पंचायत राज संचालनालय द्वारा छह माह की अग्रिम राशि सभी ग्राम पंचायतों के खाते में भेजी गई है। इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।**

**मध्यप्रदेश शासन**
**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

**क्र/4678/22/वि-1/वित्त/17** **भोपाल, दिनांक 20/04/2017**

**प्रति,**

**समस्त सरपंच,**
**ग्राम पंचायत,**
**मध्यप्रदेश।**

**विषयः- वर्ष 2017-18 के लिये सरपंच एवं पंचों का मानदेय।**

वर्ष 2017-18 के लिये आपकी ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंचों के मानदेय के भुगतान के लिए 6 माह की अग्रिम राशि आपकी ग्राम पंचायत के खाते में पंचायत राज संचालनालय द्वारा सीधे भेजी गई है।

2. आप विदित हैं कि सरपंच का मानदेय रु. 1750 प्रतिमाह नियत है और पंच को प्रति मासिक बैठक रु. 100 के मान से वर्ष में अधिकतम 6 बैठकों के लिए रु. 600 का मानदेय दिया जाता है। संचालनालय पंचायत राज द्वारा जारी अग्रिम राशि में सरपंच के लिए 6 माह का एवं पंच के लिए तीन बैठकों का मानदेय आपकी ग्राम पंचायत के बैंक खाते में संचालनालय से सीधे भेजा गया है। जारी की गई राशि का मदवार विवरण ग्राम पंचायतवार पंचायत दर्पण पोर्टल पर **"पंचायतों को प्राप्तियां"** ऑप्शन में उपलब्ध होगा।

3. कृपया सुनिश्चित करें किः-

1. वर्ष 2017-18 में सरपंच को प्रतिमाह और पंच को प्रति दो माह में एक बैठक के लिए मानदेय का नियमित भुगतान किया जाये,
2. मानदेय का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाये,
3. पिछले वर्ष का मानदेय यदि बकाया हो तो उसकी मांग पृथक से जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजी जावे; एवं
4. इस आदेश द्वारा जारी राशि से पूर्व बकाया/ऐरियर का भुगतान नहीं किया जाये।

**(राधेश्याम जुलानिया)**
**अपर मुख्य सचिव**
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

# जिला और जनपद पंचायत को प्रदाय की जाने वाली राशि के लिए दिशा-निर्देश

**मध्यप्रदेश में जिला और जनपद पंचायतों को अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए राज्य शासन द्वारा राशि उपलब्ध करवाई जाती है। यह राशि राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रदाय की जाती है। इस राशि का उपयोग किसके द्वारा और किन मदों में किया जायेगा इसके लिए दिशा-निर्देश बनाये गये हैं जिसे मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।**

**मध्यप्रदेश शासन**
**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,**
**मंत्रालय, भोपाल**

**क्र./5050/ /2017/22/पं-1/** **भोपाल, दिनांक 28/04/2017**

**प्रति,**

1. **कलेक्टर (समस्त) मध्यप्रदेश।**
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त) मध्यप्रदेश।**
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त) मध्यप्रदेश।**

**विषयः- जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों को प्रदाय की जाने वाली मूलभूत राशि के वितरण हेतु दिशा निर्देश।**

**संदर्भः- 1. विभाग के पत्र क्रमांक एफ-2-2015/22/पं.-1 दिनांक 09.08.2016 द्वारा जारी मार्गदर्शिका।**
**2. विभाग का पत्र क्रमांक 335/475/2017/22/पं.-1 भोपाल, दिनांक 15/12/2016**

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 15.12.2016 द्वारा वर्ष 2016-17 एवं उसके बाद के वर्षों के लिये जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों के विकल्प पर लिये जाने वाले अधोसंरचना विकास कार्यों के लिये अनुदान राशि वितरण हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

राज्य वित्त आयोग से अधोसंरचना विकास के लिए जिला/जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा सदस्यों के विकल्प पर स्वीकृत किये जाने वाले कार्यों के क्षेत्र के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैः-

1. जिला पंचायत के अध्यक्ष के विकल्प पर लिये जाने वाले कार्यों के लिए कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला रहेगा।
2. जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विकल्प के कार्यों के लिए कार्यक्षेत्र संपूर्ण जनपद पंचायत क्षेत्र रहेगा।
3. जिला/जनपद पंचायत के शेष सभी निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर लिए जाने वाले कार्यों के लिए कार्यक्षेत्र उनके निर्वाचित क्षेत्र की सीमा रहेगी अर्थात् संबंधित सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के बाहर उनके विकल्प पर आवंटित धनराशि से अधोसंरचना कार्य स्वीकृत नहीं किए जा सकेंगे।

**(राधेश्याम जुलानिया)**
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

# मनरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए नये दिशा-निर्देश

**मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वृक्षारोपण करने के लिए परियोजना बनाने और उसका क्रियान्वयन करने के लिए पूर्व में कुछ दिशा-निर्देश बनाए गए थे। इन निर्देशों में मानक लागत की गणना में त्रुटि पाये जाने के कारण इन्हें निरस्त कर नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा जारी इन नवीन दिशा-निर्देशों का मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशन किया जा रहा है।**

**विकास आयुक्त कार्यालय**
**मध्यप्रदेश भोपाल**

**क्रमांक/3005/MGNREGS/NR-3/2017** **भोपाल, दिनांक 28.04.2017**

**प्रति,**

1. **कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक**
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक**
   **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र.**
   **जिला- समस्त**

**विषय :** महात्मा गांधी नरेगा के तहत वृक्षारोपण संबंधी दिशा निर्देश।

विषयान्तर्गत आदेश क्रमांक 2908-2909 दिनांक 25.04.2017 को जारी वृक्षारोपण संबंधी निर्देश में मानक लागत की गणना में त्रुटि पाये जाने के कारण इस आदेश को निरस्त करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण परियोजना बनाने और क्रियान्वयन के लिए निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. वृक्षारोपण सड़क/नहर किनारे, सार्वजनिक भवनों/परिसरों (मोक्षधाम, खेल मैदान, विद्यालय, छात्रावास, पंचायत/सामुदायिक भवन आदि) में तथा उनकी बाउण्ड्री पर और सामुदायिक/शासकीय भूमि पर किया जा सकेगा।

2. वृक्षारोपण के संबंध में तकनीकी आवश्यकता अनिवार्य एवं बंधनकारी होगी :-

| क्र. | वृक्षारोपण का प्रकार | पौधों के बीच अंतराल | पौधों की संख्या | रोपित की जाने वाली प्रजाति के उदाहरण | सुरक्षा के उपाय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सड़क किनारे | 10 मीटर x 10 मीटर | 100 पौधे प्रति कि.मी. (एक तरफ) 200 पौधे प्रति कि.मी. (दोनों तरफ) | आम, इमली, जामुन, महुआ, नीम, करंज, सुरजना (मुनगा), अर्जुन सप्तवर्णी, कैसिया सामिया, गुलमोहर, पेल्टाफारम, चिरोल, अमलतास, पीपल, बरगद, बांस आदि | (ट्रीगार्ड) ट्रीगार्ड कंटीली झाड़ी/बांस से बनाए जा सकते हैं। |
| 2. | सामुदायिक स्थल पर ब्लॉक प्लानटेशन | 4 मीटर x 4 मीटर | 625 पौधे प्रति हेक्टर | आम, जामुन, नीम, आंवला, नीबू, अमरूद, मीठी नीम, सीताफल, सुरजना (मुनगा), बेर, पीपल, बांस आदि | सीपीटी खुदाई 1 मीटर x 1 मीटर एवं उसके बंड पर प्रोसोपिस, बबूल/खेर के बीज बुआई/ सीसल के बुलबिल को लगाना। |
| 3. | सार्वजनिक परिसर में अथवा परिसर के चारों तरफ (यथा विद्यालयों, छात्रावास परिसर, खेल मैदान, मोक्षधाम आदि) | 4 मीटर x 4 मीटर | स्थल उपलब्धता के अनुसार (कुल 200 पौधों के लिये) | सिरस, खमेर, करंज, नीम, आंवला, सुरजना (मुनगा), बांस आदि | बाउंड्रीवाल होने/नहीं होने की स्थिति में कटीली झाड़ी/ बांस के ट्रीगार्ड/कंटीले तार |

3. वृक्षारोपण परियोजना की अवधि तथा मानक लागत निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

| विवरण | सड़क किनारे | | सामुदायिक | | सार्वजनिक परिसर | | नहर किनारे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| परियोजना अवधि | 05 वर्ष | | 05 वर्ष | | 05 वर्ष | | 03 वर्ष | |
| पौधों का अंतराल | 10 मी. x 10 मी. | | 4 मी. x 4 मी. | | 4 मी. x 4 मी. | | 5 मी. x 5 मी. | |
| पौधों की संख्या | 200 प्रति कि.मी. | | 625 प्रति हेक्टर | | 200 प्रति ग्राम | | 400 प्रति कि.मी. | |
| परियोजना की मानक लागत | 3,35,000 | | 5,35,000 | | 3,35,000 | | 3,00,000 | |
| परियोजना की प्रति पौधा लागत | 1,675 | | 855 | | 1,675 | | 750 | |
| **परियोजना की वर्षवार मानक लागत** | **सामग्री** | **श्रम दिवस** | **सामग्री** | **श्रम दिवस** | **सामग्री** | **श्रम दिवस** | **सामग्री** | **श्रम दिवस** |
| प्रथम वर्ष | 41,300 | 475 | 54,720 | 545 | 41,300 | 475 | 37,160 | 470 |
| द्वितीय वर्ष | 11,720 | 240 | 18,240 | 455 | 11,720 | 240 | 13,600 | 450 |
| तृतीय वर्ष | 11,720 | 240 | 18,240 | 455 | 11,720 | 240 | 13,600 | 450 |
| चतुर्थ वर्ष | 11,720 | 240 | 18,240 | 455 | 11,720 | 240 | लागू नहीं | |
| पंचम वर्ष | 11,720 | 240 | 18,240 | 455 | 11,720 | 240 | लागू नहीं | |

**नोट :-** (i) मजदूरी की दर में वृद्धि की दशा में पुनरीक्षित स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। मजदूरी भुगतान उक्त तालिका में दर्शाये श्रम दिवस के लिये मान्य होगा।

(ii) सामुदायिक वृक्षारोपण (Block Plantation) के लिये उपलब्ध भूमि 1 हेक्टर से अधिक हो तो प्रति हेक्टर को एक यूनिट मानकर परियोजना बनाई जावे। उदाहरण के लिये 8 हेक्टर भूमि उपलब्ध होने की दशा में 8 परियोजना माना जाये तथा 8 पौध रक्षक रखे जायें।

(iii) क्षेत्रफल 1 हेक्टर से अधिक होने की दशा में सीपीटी एकजाई पूरे क्षेत्र में ली जावे।

4. परियोजना के लिए डीपीआर का प्रारूप संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है। तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति देने के लिए ग्राम पंचायत अधिकृत होगी। पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रविष्टि डीपीआर पर करना तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति का अभिलेख होगा। इसके लिए पृथक से कोई दस्तावेज बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

5. वृक्षारोपण परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी संबंधित ग्राम की वन समिति/स्वसहायता समूह (जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन/तेजस्वनी के तहत गठित किया गया हो), क्षेत्र में सक्रिय गैर शासकीय संस्था अथवा संबंधित ग्राम पंचायत हो सकती है।

6. क्रियान्वयन एजेंसी को उपरोक्त बिंदु 3 की तालिका में दर्शाई गई मानक पौधों की संख्या को यूनिट मानकर प्रति यूनिट एक पौधरक्षक की व्यवस्था करना होगी।

7. ग्राम में अथवा ग्राम के सार्वजनिक परिसरों यथा स्कूल, छात्रावास, सार्वजनिक भवन, मोक्षधाम आदि में सफाई के लिये अंशकालीन मानदेय पर कार्यरत कोई जाबकार्डधारी उपलब्ध हो, तो उसे पौधरक्षक बनाने में सर्वोच्च प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा।

8. पौधरक्षक निम्नानुसार कार्य संपन्न करेगा :-

8.1 वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम 0.6 मी. x 0.6 मी. x 0.6 मी. आकार के गड्ढे खोदना, गड्ढ़ों में उपजाऊ मिट्टी एवं खाद डालकर पौध रोपण के लिए गड्ढे तैयार करना।

8.2 उपरोक्त बिंदु 3 की तालिका में निर्दिष्ट प्रजाति के 2 वर्ष या अधिक उम्र के पौधों की शासकीय/मान्यता प्राप्त नर्सरी से व्यवस्था करना।

8.3 पौध रोपण करना तथा पौधों की सिंचाई के लिए मध्यम आकार के मटके की व्यवस्था कर उसमें एक छोटा छेदकर उसे बत्ती से जोड़कर पौधे के पाले (क्यारी) में मिट्टी में गाड़ना ताकि बूंद-बूंद पानी की टपक से पौधे सिंचित होते रहे।

8.4 पौधों की रक्षा के लिए ट्री-गार्ड की व्यवस्था कर ट्री-गार्ड लगाना। लागत सीमा के भीतर पौधरक्षक बांस, कंटीली झाड़ी अथवा कंटीले तार की ट्री-गार्ड बनाकर लगा सकता है।

8.5 पौधों में समय-समय पर निंदाई-गुड़ाई, दवा छिड़काव, खाद, सिंचाई एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना।

8.6 पौध मृत होने की दशा में नया पोधा लाकर लगाना।

9. पौधरक्षक संबंधित ग्राम का निवासी होकर नरेगा का जॉबकार्डधारी होना चाहिए। पौधरक्षक के पास उसकी स्वयं की साईकल होना चाहिए ताकि साईकल पर वह पीपे/केन लगाकर सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करे और पौधों की सिंचाई करे।

**स्पष्टीकरण :-** मानक लागत व्यय सीमा के भीतर सिंचाई की कोई भी उपयुक्त व्यवस्था की जा सकती है। उदाहरण के लिये पानी की टंकी अथवा पाईप लाईन से सिंचाई करने पर कोई रोक नहीं है।

10. पौधरक्षक को सामग्री क्रय करने के लिए वेण्डर और नरेगा मजदूरी के लिए नियोजक मान्य किया जाए। पौधरक्षक आवश्यकतानुसार स्वयं के साथ-साथ अन्य जॉबकार्डधारी लोगों को मजदूरी पर रख सकेगा।

11. पौधरक्षक को मानक लागत का भुगतान निम्नानुसार किया जा सकेगा :-

11.1 प्रथम वर्ष में मानक लागत का भुगतान निम्नानुसार 4 किश्तों में किया जाए :-

| **किश्त भुगतान** | | **सड़क किनारे** | | **सामुदायिक** | | **सार्वजनिक परिसर** | | **नहर किनारे** | | **भुगतान की संभावित अवधि** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **सामग्री की राशि** | **मजदूरी के दिन** | **सामग्री की राशि** | **मजदूरी के दिन** | **सामग्री की राशि** | **मजदूरी के दिन** | **सामग्री की राशि** | **मजदूरी के दिन** | |
| पौधा रोपण के लिए गड्ढा खोदकर मिट्टी एवं खाद डालकर तैयारी करने पर | | अग्रिम 3,000/- | - | अग्रिम 3,000/- | - | अग्रिम 3,000/- | - | अग्रिम 3,000/- | - | मई-15 जून |
| | | - | 40 | - | 95 | - | 40 | - | 67 | 15 जून के पूर्व |
| पौध रोपण के करने पर | | अग्रिम 14,000/- | - | अग्रिम 20,000/- | - 1 | अग्रिम 4,000/- | - | अग्रिम 12,000/- | - | 15-25 जून |
| | | - | 10 | - | 35 | - | 10 | - | 20 | 15-31 जुलाई |
| ट्रीगार्ड लगाना और सिंचाई के लिए मटके तथा साईकल/ पीपे की व्यवस्था करने पर | | अग्रिम 14,300/- | - | अग्रिम 21,720/- | - | अग्रिम 14,300/- | - | अग्रिम 12,160/- | - | 31 अगस्त |
| | | - | 320 | - | 205 | - | 320 | - | 173 | 31 अक्टूबर |
| अंतिम किश्त | पौधरक्षक को | 5,000/- | - | 5,000/- | - | 5,000/- | - | 5,000/- | - | आगामी वर्षा ऋतु के आगमन या 15 जून जो भी पहले हो |
| | | - | 105 | - | 210 | - | 105 | - | 210 | |
| | ग्राम पंचायत को | 5,000/- | - | 5,000/- | - | 5,000/- | - | 5,000/- | - | |
| **योग** | | **41,300/-** | **475** | **54,720/-** | **545** | **41,300/-** | **475** | **37,160/-** | **470** | |

11.2 द्वितीय वर्ष और उसके पश्चात प्रतिवर्ष भुगतान 3 किश्तों में किया जाएगा :-

| किश्त का विवरण | | सड़क किनारे | | सामुदायिक | | सार्वजनिक परिसर | | नहर किनारे | | भुगतान की संभावित अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सामग्री की राशि | मजदूरी के दिन | सामग्री की राशि | मजदूरी के दिन | सामग्री की राशि | मजदूरी के दिन | सामग्री की राशि | मजदूरी के दिन | |
| मृत पौधों के स्थान पर गैप फिलिंग हेतु पौध रोपण, क्षतिग्रस्त मटके व ट्रीगार्ड को बदलना आदि सम्पूर्ण कार्य। | | अग्रिम 2,000 | - | 4,000 | - | अग्रिम 2,000 | - | 3,000 | - | 30 जून |
| | | - | 80 | - | 150 | - | 80 | - | 150 | 31 अगस्त |
| सिंचाई, निदाई, गुड़ाई, थाला बनाना, दवा छिड़काव, खाद एवं कीटनाशक माह में दो बार | | अग्रिम 2,500 | - | 6,000 | - | अग्रिम 2,500 | - | 3,000 | - | 31 अक्टूबर |
| | | - | 80 | - | 155 | - | 80 | - | 150 | 31दिसम्बर |
| अंतिम किश्त | पौधरक्षक को | 2,220 | - | 3,240 | - | 2,220 | - | 2,600 | - | आगामी वर्षा ऋतु के आगमन या 15 जून जो भी पहले हो |
| | | - | 80 | - | 150 | - | 80 | - | 150 | |
| | ग्राम पंचायत को | 5,000/- | - | 5,000/- | - | 5,000/- | - | 5,000/- | - | |
| | **योग** | **11,720** | **240** | **18,240** | **455** | **11,720** | **240** | **13,600** | **450** | |

11.3 आगामी वर्षाऋतु के आगमन तक जीवित पौधों की संख्या, तालिका में दर्शाई मात्रा से कम होने की दशा में प्रत्येक वर्ष की अंतिम किश्त की राशि स्वतः शून्य हो जाएगी और कोई भुगतान देय नहीं होगा :-

| प्रथम वर्ष के अंत में वर्षाऋतु के आगमन तक जीवित पौधों की संख्या | द्वितीय वर्ष के अंत में वर्षा ऋतु के आगमन तक जीवित पौधों की संख्या | तृतीय वर्ष के अंत में वर्षाऋतु के आगमन तक जीवित पौधों की संख्या | चतुर्थ एवं पांचवें वर्ष के अंत में वर्षाऋतु के आगमन तक जीवित पौधों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 80% | 90% | 95% | 100% |

12. ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष जीवित पौधों की गणना कराकर अपनी स्टॉक पंजी में प्रवृष्टि करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि क्रियान्वयन एजेंसी वृक्षारोपण का रख रखाव करे। पर्यवेक्षण हेतु प्रति परियोजना अवधि में प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत को प्रति परियोजना रुपये 5,000/- का भुगतान बिन्दु क्र. 11.3 की शर्त पूरी होने की दशा में सामग्री मद से किया जाएगा।
13. सामग्री खरीदी एवं क्रय आदि के देयक संधारित करना आवश्यक नहीं होगा। परिशिष्ट-2 में दिये गये प्रारूप में पौधरक्षक द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित देयक मान्य होगा। क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा परिशिष्ट-2 में किया गया सत्यापन, देयक पारित करने के लिये पर्याप्त होगा।
14. परियोजना अवधि पूर्ण होने पर पौधरक्षक को परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभ (यथा- फल, जलाऊ/इमारती लकड़ी) का 50 प्रतिशत रखने का अधिकार होगा। शेष 50 प्रतिशत पर ग्राम पंचायत का अधिकार होगा और उसका निपटारा ग्राम पंचायत करेगी।
15. ग्राम पंचायत से यह अपेक्षा है कि ग्राम पंचायत के अधीन प्रत्येक ग्राम के लिए 2 वृक्षारोपण परियोजनाएं उपरोक्त बिंदु 3 की तालिका में दर्शाई मानक लागत के आधार पर तैयार कराएं और उनका क्रियान्वयन करें।

**संलग्न :- परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2**

**(राधेश्याम जुलानिया)**
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

**विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक/3005-06/MGNREGS/NR-3/2017 दिनांक 28.04.2017 का परिशिष्ट-1**

**वृक्षारोपण परियोजना की डीपीआर, तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति**

**ग्राम....., ग्राम पंचायत....., जनपद पंचायत....., जिला.....**

| वृक्षारोपण का प्रकार | स्थान का विवरण | स्वीकृत लागत (राशि रु. में ) विकास आयुक्त के मानक दिनांक 28.04.17 अनुसार | एमआईएस के लिये | | क्रियान्वयन एजेन्सी |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | T.S. No. | A.S. No. | |
| सड़क किनारे अवधि 05 वर्ष | | 3,35,000/- | | | |
| सामुदायिक (ब्लॉक प्लानटेशन) अवधि 05 वर्ष | | 5,35,000/- | | | |
| सार्वजनिक परिसर अवधि 05 वर्ष | i | 3,35,000/- | | | |
| | ii | | | | |
| | iii | | | | |
| | iv | | | | |
| | v | | | | |
| नहर किनारे अवधि 03 वर्ष | | 3,00,000/- | | | |

**टीपः-** 1. उक्त तालिका में से जो परियोजनायें ली जावें उन्हें (√) करें। स्थान का पूर्ण विवरण भरें, जिससे आसानी से पहचाना जा सके। ब्लॉक प्लानटेशन में भूमि का सर्वे नंबर भरा जावे।

प्रस्ताव ठहराव क्र. ....., दिनांक ....., शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट क्र. .....

हस्ताक्षर सचिव/सहायक सचिव
सील

हस्ताक्षर सरपंच
सील

नाम एवं हस्ताक्षर पौधरक्षक-

1. .....
2. .....
3. .....

**विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक/3005-06/MGNREGS/NR-3/2017 दिनांक 28.04.2017 का परिशिष्ट-2**

**वृक्षारोपण परियोजना का देयक**

1. ग्राम ..... ग्राम पंचायत ..... जनपद .....
2. परियोजना का नरेगा कोड नम्बर .....
3. परियोजना का वर्ष : प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम (जो लागू हो उसे √ करें)

| कार्य का विवरण | सामग्री अंश का देयक राशि रुपये | | |
|---|---|---|---|
| | अग्रिम | कार्य उपरान्त (हो तो) | योग |
| | | | |
| | | | |
| योग | | | |

मैं प्रमाणित करता हूँ कि :-

(i) मैं वचन देता हूँ कि मैं उक्त अग्रिम राशि का उपयोग उक्त वृक्षारोपण परियोजना के लिए सामग्री क्रय करने तथा परिवहन आदि के लिए करूंगा। (प्रथम वर्ष की प्रथम किश्त के लिए)

अथवा

(ii) मैंने पूर्व देयक से लिए गए अग्रिम का उपयोग उक्त वृक्षारोपण परियोजना के लिए सामग्री क्रय करने तथा परिवहन आदि के लिये किया है (प्रथम वर्ष के प्रथम देयक के यह प्रमाणीकरण लागू नहीं है)।

पौधरक्षक का नाम ..... हस्ताक्षर.....

पता (आधार नं. सहित) ..... मो. नं. .....

**क्रियान्वयन एजेंसी का सत्यापन**

प्रमाणित किया जाता है कि पौधरक्षक द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार वृक्षारोपण परियोजना का कार्य स्थल पर गुणवत्तायुक्त संपादित किया गया है।

क्रियान्वयन एजेंसी प्रमुख का नाम ..... पदनाम.....

हस्ताक्षर ..... दिनांक ...../...../.....

**वर्ष की अंतिम किश्त के भुगतान हेतु क्लस्टर अधिकारी का (15 मई से 15 जून के मध्य) सत्यापन**

प्रमाणित किया जाता है कि क्रियान्वयन एजेंसी .....

द्वारा ..... स्थल पर रोपित पौध संख्या ..... का स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक .....

को किया गया। रोपित पौधों में से ..... प्रतिशत पौधे जीवित एवं औसतन लगभग ..... मीटर ऊंचाई के पाए गए। वृक्षारोपण परियोजना का कार्य संतोषजनक पाया गया।

(हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता)..... नाम क्लस्टर अधिकारी.....

पदनाम..... दिनांक ...../...../.....